BCCI BULLETIN

Vol. 53 | JULY 2022 | No. 7

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार विधान सभा शताब्दी समापन समारोह को माननीय प्रधान मंत्री ने सम्बोधित किया, चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल भी समारोह में सम्मिलित हुआ

मंच पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय विधान परिषद् के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह, माननीय विधान सभा उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी, माननीया उप मुख्यमंत्री, बिहार श्रीमती रेणु देवी, माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार चौधरी व विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'शताब्दी स्मृति स्तंभ' का अनावरण किया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 12 जुलाई, 2022 को बिहार विधान सभा के शताब्दी समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि बिहार जैसे सामर्थ्यवान और उर्जावान राज्य में गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासी और महिलाओं का उत्थान बिहार को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है।

बिहार जब आगे बढ़ेगा, तो भारत भी अपने स्वर्णिम अतीत को दोहराते हुए विकास और सफलता की नयी उँचाईयों को छूएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही है व जरूरत के हिसाब से भारत के लोगों की हमारे युवाओं की आशाएं-अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति का भी जीवन आसान बने, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर किसी को हर जरूरी सुविधा मिले, ऐसा सभी का संकल्प होना चाहिए। आज सबको घर, पानी, बिजली और सबको इलाज के लक्ष्यों को लेकर देश काम कर रहा है ।

देश के सांसद के रूप में और राज्य के विधायक के रूप में यह भी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र के सामने आ रही हर चुनौती को मिलकर हराया जाये। पक्ष-विपक्ष के भेद से उपर उठकर देशहित में हमारी आवाज एकजुट होनी चाहिए। **बिहार के वैभव को न कोई मिटा सकता है और न कोई झुका सकता है।**

समारोह में उपस्थित चैम्बर के प्रतिनिधिगण।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधान सभा परिसर में स्थापित 40 फीट ऊँचे शताब्दी स्मृति स्तम्भ के अनावरण के अतिरिक्त बिहार विधान सभा संग्रहालय एवं गेस्ट हाउस निर्माण की आधारशिला रखी, कल्प तरू का पौधारोपण किया एवं **'इतिहास के झरोखे से जानिये अपनी विरासत को'** नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। उक्त पुस्तक में पहली बिहार विधान सभा से 17वीं विधान सभा का सफरनामा अंकित है।

इस ऐतिहासिक बिहार विधान सभा के शताब्दी समापन समारोह में विशेष आमंत्रण पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का प्रतिनिधि-मंडल भी शामिल हुआ। प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री सच्चिदानन्द एवं श्री आशीष शंकर शामिल थे।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 12 जुलाई, 2022 को बिहार विधान सभा के शताब्दी समापन समारोह को सम्बोधित किया। अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि **''बिहार आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा''।**

इस समारोह में विशेष आमंत्रण पर चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री सच्चिदानन्द एवं श्री आशीष शंकर शामिल थे।

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में दिनांक 12 जुलाई, 2022 को ही नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार एवं झारखंड) श्री हर्ष प्रकाश से मिला। **प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त से आयकर संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श किया। इसके अतिरिक्त चैम्बर प्रांगण में राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों के साथ बैठक हेतु उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की।** प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री सच्चिदानन्द, श्री सुनील सराफ एवं श्री आशीष शंकर शामिल थे।

गैर ब्रांडेड खाद्यान्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने की घोषणा से व्यवसायियों की परेशानी बढ़ेगी। इसके साथ ही आम जनता पर मंहगाई का बोझ बढ़ जायेगा। चैम्बर ने पूर्व में भी गैर ब्रांडेड वस्तुओं पर 5 प्रतिशत कर नही लगाने का आग्रह माननीय वित मंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री से कर चुका है। **पुनः अनुरोध है कि इस घोषणा पर पुनर्विचार करने की कृपा करें।**

केन्द्र सरकार ने Edible Oil Associations से खाद्य तेल की कीमतों को कम करने तथा एक समान ब्रांड के खाद्य तेलों के लिए देश भर में एक MRP रखने का अनुरोध किया है।

केन्द्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद दिनांक 12 जुलाई 2022 से आटा सहित गेहूं के अन्य उत्पादों के निर्यात के लिए Inter Ministerial Committee की अनुमति लेने को अनिवार्य कर दिया है।

होटल एवं Restaurant द्वारा ग्राहकों से लिए जानेवाले Service Charge के संबंध में Central Consumer Protection Authority ने दिनांक 4 जुलाई 2022 को नई Guideline जारी किया है ।

चैम्बर की ओर से बिजली से संबंधित लंबित विवादित मामलों के समाधान हेतु एक मुश्त समझौता योजना (OTS) लाने का आग्रह सरकार से किया गया है।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने औसत बिजली नुकसान की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत तय कर रखी है लेकिन, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में 31 प्रतिशत और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी ने 23 प्रतिशत तक औसत बिजली नुकसान का दावा किया है। इसके आधार पर ही उनके कुल राजस्व की गणना होगी। दोनों बिजली कम्पनियों ने टैरिफ दर में वृद्धि को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष रिव्यू पिटीशन में यह जानकारी दी है। **यह पिटीशन फिलहाल पब्लिक डोमेन में है। इच्छुक व्यक्ति या संगठन विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष 27 जुलाई, 2022 तक अपनी टिप्पणी, सुझाव, आपत्तियॉ दर्ज करायेंगे। इस मामले में आयोग अगली सुनवाई दिनांक 12 अगस्त, 2022 को करेगा।**

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को भारतीय मुद्रा में आयात/निर्यात के लिए अतिरिक्त प्रबन्ध करने का निर्देश दिया है। आर0बी0आई0 ने कहा कि बैंकों को यह व्यवस्था लागू करने के पहले उसके विदेशी मुद्रा विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह तय किया गया है कि बिल बनाने, भुगतान व रूपये में आयात/निर्यात के निपटान के लिए अतिरिक्त प्रबन्ध किया जाये।

केन्द्र सरकार के आदेशानुसार 1 जुलाई 2022 से देशभर में Single Use Plastic पर प्रतिबंध लग गया है। **हालांकि चैम्बर की ओर से सरकार से अनुरोध किया गया था कि जब–तक इसका कोई विकल्प नहीं आता है तब–तक इसे बन्द नहीं किया जाए।**

चैम्बर की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से संबंधित लंबित विवादित मामलों के समाधान हेतु माफी योजना (Amnesty Policy) लाने का आग्रह किया गया है।

Ministry of MSME, Govt. of India ने MSME-Development Institute का नया नामकरण **MSME-Development and Facilitation Office** किया है।

चैम्बर में निःशुल्क चल रहे **Tally Accounting Course** का 2nd Batch दिनांक 4 जुलाई 2022 से प्रारम्भ हो गया है। प्रथम बैच में 37 प्रशिक्षणार्थी थे और दूसरा बैच में 38 प्रशिक्षणार्थी हैं।

यह खुशी की बात है कि बरौनी रिफाइनरी में अगस्त माह से विश्वस्तरीय एवियेशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) यानि हवाई इंधन का उत्पादन शुरू हो जायेगा। **इंडजेट इकाई एटीएफ का उत्पादन करेगी, जो बिहार के पटना, दरभंगा, गया एयरपोर्ट की इंधन जरूरत को पूरा करेगी साथ ही पड़ोसी देश नेपाल में एटीएफ की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।**

यह भी खुशी की बात है कि बिहार में कोरोना चरणवार लहर के बावजूद आयकर संग्रह पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2021.22 के लिये 12 हजार 200 करोड़ रूपये के टैक्स संग्रह का लक्ष्य रखा गया था लेकिन इसके मुकाबले 14 हजार 600 करोड़ टैक्स संग्रह हुआ। **इसमें आयकर 10 हजार करोड़ एवं कॉरपोरेट टैक्स साढ़े चार हजार करोड़ शामिल है।**

यह भी खुशी की बात है कि बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यों की केन्द्र सरकार ने सराहना की और इसे पारदर्शी बताया। केन्द्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित छठे नेशनल कान्फ्रेंस ऑन माइन्स एण्ड मिनरल्स में बिहार को बेहतर कार्यप्रणाली के लिए खान एवं भूतत्व विभाग को सम्मानित किया एवं प्रोत्साहन राशि के रूप में विभाग को 20 लाख रूपये की राशि भी मिली है। **निश्चित रूप से विभाग को मिला यह सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के सद्प्रयासों का प्रतिफल है।**

यह और भी खुशी की बात है कि बिहार के 'जमुई, औरंगाबाद, नवादा सहित कई जिलों में वृहत् पैमाने पर सोना, निकल, पोटाश, क्रोमियम के भंडार मिले हैं जिनका खनन शीघ्र होने वाला है। **बिहार के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा।**

श्रम संसाधन विभाग, बिहार की ओर से राज्य में Minimun Wages के वर्तमान दरो में पुनरीक्षण के संबंध में गजट अधिसूचना जारी करते हुए दिनांक 10 अगस्त 2022 के पूर्व आपत्ति/सुझाव मांगा गया है। **इसके लागू होने पर 15 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।**

सादर,

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

अध्यक्ष

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त से मिला

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री हर्ष प्रकाश को पुष्पगुच्छ से अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में नव पदस्थापित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार एवं झारखण्ड) श्री हर्ष प्रकाश से उनके कार्यालय राजस्व भवन में मिला। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के साथ आयकर से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। साथ ही उन्होंने चैम्बर प्रांगण में राज्य के उद्यमियों व कारोबारियों के साथ बैठक करने की सहमति दी। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, महामंत्री अमित मुखर्जी, संयोजक सुभाष पटवारी, पूर्व महामंत्री पशुपति नाथ पांडेय, आशीष शंकर, सुनील सर्राफ आदि मौजूद थे।

(साभार : प्रभात खबर, 14.7.2022)

भूमि की दर में छूट के निर्णय का स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (बीसीसीआई) ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के लीज दर में छूट के संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है। चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने बताया कि बीसीसीआई राज्य में औद्योगीकरण में तेजी के लिए बराबर सरकार से मांग कर रहा था कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो भूमि का आबंटन उद्यमियों को किया जाता है, उसकी दरें बहुत अधिक हैं। उसे कम किया जाए और उसे युक्तिसंगत बनाया जाए।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 17.7.2022)

जीएसटी लागू होना कर-संग्रहण के क्षेत्र में बड़ी क्रांति : उपमुख्यमंत्री

जीएसटी लागू करने के पाँच वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित

मुख्य सचिवालय स्थित (एनेक्सी-3) के सभागार में वाणिज्य- कर विभाग के तत्वावधान में जीएसटी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उप-मुख्यमंत्री-सह-मंत्री वाणिज्य-कर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि विगत 01 जुलाई, 2017 को पूरे भारतवर्ष में माल और सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) को लागू किया गया था, जिसकी आज पाँचवी वर्षगांठ है। विगत पाँच वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से जीएसटी प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ा है और कर आधार में वृद्धि हुई है। जीएसटी प्रणाली लागू होने के समय टैक्सपेयर बेस मात्र 1.72 लाख था जो वर्तमान में बढ़कर छह लाख से अधिक हो चुका है। जीएसटी लागू होने से पूर्व के वित्तीय वर्ष 2016-17 में वाणिज्य-कर विभाग बिहार का राजस्व संग्रहण 18751 करोड़ था, जो वर्ष 2021-22 में लगभग दो गुणा अर्थात् 35884 करोड़ हो गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माल और सेवा कर प्रणाली लागू होने से देश में कर संग्रहण के क्षेत्र में क्रांति आई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का बजट 218000 करोड़ रुपये का था, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में बढ़कर 237000 करोड़ रुपए हो गया है। बिहार उन सर्वोच्च पाँच राज्यों में शामिल हुआ है, जिसने विगत वित्तीय वर्ष में दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च विकास योजनाओं पर किया है। यह सब कुछ हमने कोरोना की वैश्विक चुनौतियों के बीच हासिल किया है। इस अवसर पर वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव डॉ. प्रतिमा, वरीय अधिकारी अरुण मिश्रा, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अमित मुखर्जी, विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी, राज्य के सभी जिलों और अंचलों से आए वाणिज्यकर विभाग के पदाधिकारी एवं व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 2.7.2022)

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अब केवल 54 ट्रेड ही

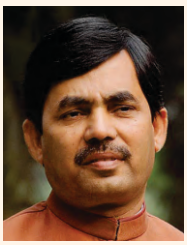

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को और व्यावहारिक बनाने के लिए 102 में से इसके 48 ट्रेड को हटा दिया है। अब चयनित उद्यमियों को 54 ट्रेड में ही सहायता राशि दी जाएगी। ट्रेड चयन के एक सप्ताह में उद्यमियों को सहायता राशि की पहली किस्त के रूप में 4 लाख का भुगतान कर दिया जाएगा। उद्योग विभाग ने ट्रेड बदलने के लिए चयनित उद्यमियों को एक सप्ताह का समय भी दिया है।

उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बताया कि मैन्युफैक्चरिंग, लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर पर फोकस किया गया है। इसके अलावा छोटे-छोटे उद्योगों को भी शामिल किया गया है। जिन 54 ट्रेडो का चयन किया गया है, वे उद्यमियों को तो सशक्त बनाएंगे ही राज्य की आर्थिक समृद्धि में भी विशेष रूप से मददगार होंगे। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे काफी बल मिलेगा। साथ ही रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 में 15986 उद्यमियों का चयन लॉटरी से किया गया है। इनमें से 1885 लोगों को पहली किस्त दी जा चुकी है। जबकि, 434 को रद्द कर दिया गया। शेष 13666 लोगों में से 7237 लोगों ने तो यही 54 ट्रेड चुना है, जबकि 6429 लोग इन ट्रेड से बाहर हैं। इन्हें एक सप्ताह में इन 54 ट्रेडों में से किसी का चयन करना है। इन योजना के तहत 10 लाख की सहायता राशि दी जाती है। इसमें 6 लाख मशीन के लिए व

जीएसटी की 5वीं वर्षगाठ के अवसर पर वाणिज्य-कर विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चैम्बर के प्रतिनिधिगण शामिल हुए

मंचासीन माननीय उप-मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्य-कर मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, राज्य-कर आयुक्त सह सचिव डॉ. प्रतिमा एवं चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

जीएसटी की 5वीं वर्षगाठ के अवसर पर वाणिज्य-कर विभाग की ओर से दिनांक 1 जुलाई 2022 को एक कार्यक्रम का आयोजन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय उप-मुख्यमंत्री-सह-वित्त वाणिज्य-कर मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने किया।

इस कार्यक्रम में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री आलोक पोद्दार एवं श्री सुनील सराफ ने भाग लिया।

4 लाख पूँजी के रूप में। मॉडल डीपीआर वेबसाइट पर डाल दिया गया है। **यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित कोई भी इस योजना से वंचित नहीं होगा। उन्हें 10 लाख की सहायता दी जाएगी। उन्हें केवल ट्रेड बदलना होगा।**

इन ट्रेडों का किया गया है चयन : बेकरी, आटा-सत्तू-बेसन, पशु आहार, मुर्गी दाना, तेल-दाल मिल, मसाला उत्पादन, आइसक्रीम फैक्ट्री, जैम-जेली, कार्नफ्लैक्स उत्पादन, पोहा-चूड़ा उत्पादन, बीज प्रसंस्करण पैकेजिंग, मधु प्रसंस्करण, फल जूस, मखाना प्रोसेसिंग, बढ़ईगिरी-लकड़ी फर्नीचर, बाँस का सामान, बेंत का फर्नीचर, सीमेंट का जाली, दरवाजा-खिड़की, फ्लाई एश ईटा, सीमेंट ब्लॉक व टाइल्स, कंक्रीट ह्यूम पाइप, डिटर्जेंट-साबुन-शैंपू, डिस्पोजल डाइपर व सेनेटरी नैपकिन, नोटबुक-फाइल-फोल्डर, प्लास्टिक सामग्री, स्पोर्ट्स जूता, गेट-ग्रिल, हॉस्पिटल बेड-ट्राली निर्माण, हल्के वाहन का बॉडी निर्माण रौलिंग शटर, पैथोलाजिकल जाँच घर, स्टील, स्टेबलाइजर-इन्वर्टर-यूपीएस, फर्नीचर-बॉक्स-आलमीरा आदि। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.7.2022)**

उद्योग नहीं लगाने पर वापस ली जा रही बियाडा की जमीन

विधान परिषद राजद के रामचन्द्र पूर्वे के तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भूमि आवंटन नीति 2021 के तहत उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए 36 माह का समय दिया जाता है। इस अवधि में उद्योग लगाना अनिवार्य है। ऐसे में जिन लोगों ने बियाडा की जमीन लेकर उद्योग नहीं लगाया है, उनसे जमीन वापस ली जा रही है। मंत्री ने कहा कि बियाडा अधिनियम के तहत इस अवधि में उद्योग स्थापित नहीं करने वाले उद्यमियों का भूमि आवंटन रद्द कर दिया जाता है। 270 बंद औद्योगिक इकाइयों में 85 इकाइयों का आवंटन रद्द कर दखल कब्जा भी ले लिया गया है।

(साभार : प्रभात खबर, 29.6.2022)

बिहार में 600 करोड़ का निवेश करेगा केवेंटर्स एग्रो

इंवेस्टर्स मीट में बिहार को टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट समेत कई सेक्टर में निवेश प्रस्ताव मिले हैं। केवेंटर्स एग्रो ने 600 करोड़ तो जेआईएस ग्रुप ने 300 करोड़ के निवेश का एलान किया। केवेंटर्स एग्रो के चैयरमैन और एमडी मयंक जालान ने कहा- एक इंवेस्टर को हमेशा दो चीजें चाहिए। एक निवेश की सुरक्षा और दूसरा ग्रोथ की संभावना। आज बिहार में दोनों चीजें उपलब्ध हैं। बिहार औद्योगिक नीति भी भविष्य को देखकर बनाई गई है और प्रोत्साहित करने वाली है। बिहार में गुड गवर्नेंस है। केवेंटर्स एग्रो बिहार में लॉजिस्टिक्स सेक्टर में करीब 600 करोड़ का निवेश करेगा। जेआईएस ग्रुप के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हरनजीत सिंह ने भी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 300 करोड़ निवेश की घोषणा की। टीटी लिमिटेड के एमडी संजय कुमार जैन ने भी कहा कि वे भी बिहार में निवेश करेंगे और एक साल के भीतर यहाँ उत्पादन भी शुरू हो जाएगा।

बंगाल के उद्योगपति भी बिहार को अपना दूसरा घर समझें : शाहनवाज

उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने उद्योगपतियों और कंपनी के प्रतिनिधियों से कहा कि बंगाल और बिहार का पुराना नाता और लगाव है। जैसे बिहार के लोग पश्चिम बंगाल को अपना दूसरा घर समझते हैं उसी तरह पश्चिम बंगाल के उद्योगपति भी बिहार को अपना दूसरा घर समझें। चाहे नई औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना हो या मौजूदा उद्योग का विस्तार-दोनों बिहार में करें। उन्होंने भरोसा दिया कि हम खुद चलकर उद्योगपतियों के दरवाजे तक जा रहे हैं और हम जो कहेंगे, वो करेंगे। बिहार में निवेश किसी हाल में उनके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए 2900 एकड़ का लैंड बैंक है। 73 औद्योगिक क्षेत्र पूरी सुविधाओं के साथ तैयार किए जा रहे हैं। बिहार और आसपास के राज्यों के कुल 7 एयरपोर्ट्स बिहार के हर जिले को बेहतरीन हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराते हैं।

"राज्य सरकार द्वारा लाई गई बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी देश की बेहतरी पॉलिसी में से एक है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, इज ऑफ डूईग बिजनेस में तरक्की के साथ श्रमशक्ति की पर्याप्त उपलब्धता इसे निवेश के लिए उपयुक्त डेस्टिनेशन बनाता है। गुड गवर्नेस से राज्य में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।"

– विकास अग्रवाल, रुपा कंपनी लिमिटेड के प्रोमोटर और डायरेक्टर

"बिहार निवेश के लिए अब पूरी तरह तैयार है। राज्य सरकार जो प्लग एण्ड प्ले फैसिलिटी दें रही है, वो शानदार स्कीम है। बेहतरीन टेक्सटाइल पॉलिसी के साथ बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराए जाने पर कोई कारण नहीं है कि बड़ी कंपनियाँ बिहार में निवेश से गुरेज करें।" **– राजीव सिंह**

डीजी-उद्योग संगठन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स (आईसीसी)

"बिहार में निवेश सुरक्षित और फायदेमंद है। रेल, रोड, हवाई कनेक्टिविटी के साथ बिहार की स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी ऐसी है जो इसे निवेश के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन बनाती है।"

– संदीप पौण्डरीक, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.7.2022)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) बिहार की क्षेत्रीय समिति की 108वीं बैठक में चैम्बर अध्यक्ष शामिल हुए

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पौधा भेंटकर स्वागत करते भविष्य निधि संगठन के अधिकारी।

बैठक में उपस्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारीगण एवं श्रमायुक्त।

क्षेत्रीय समिति, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) बिहार की 108वीं बैठक दिनांक 06 जुलाई, 2022 को श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अध्यक्ष क्षेत्रीय समिति, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की अध्यक्षता में नियोजन भवन, पटना में हुई।

बैठक में बिहार चैम्बर की ओर से अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, लेबर सब-कमिटी के संयोजक श्री सुधि रंजन तथा विभाग की ओर से अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री संजय कुमार एवं श्रमायुक्त सुश्री रंजीता के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए।

उभरते स्टार्टअप परिवेश की श्रेणी में बिहार शामिल

गुजरात को लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का दर्जा मिला

नये उद्यमियों के लिए स्टार्टअप परिवेश विकसित करने में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) द्वारा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए तैयार की गयी रैंकिंग में यह बात सामने आयी....

रैंकिंग के अनुसार, उभरते स्टार्टअप परिवेश की श्रेणी में आंध्र प्रदेश, बिहार, मिजोरम और लद्दाख को शामिल किया गया। इन राज्यों का मूल्यांकन सात क्षेत्रों में किये गये सुधार के आधार पर हुआ। इन क्षेत्रों में संस्थागत समर्थन, नवाचार को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुँच और वित्त पोषण सहायता जैसे 26 कार्य बिंदु शामिल थे। मेघालय को छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पाया गया। एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों को छोटा राज्य माना गया है। केरल, महाराष्ट्र, ओड़िशा, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर को शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की इसमें गुजरात को लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का दर्जा मिला। कुल 24 राज्यों और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस कवायद में हिस्सा लिया।

रैंकिंग उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप परिवेश विकसित करने के लिए की गयी पहल पर आधारित है। इसमें पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में रखा गया। आकांक्षी नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, पुडुचेरी और नगालैंड शामिल हैं। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 5.7.2022)**

हिन्दुस्तान यूनिलीवर करेगी 500 करोड़ का निवेश

• एचयूएल ने एफएमसीजी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की योजना बनाई • कंपनी के प्रतिनिधियों ने बिहार का दौरा किया, अन्य कंपनियाँ भी निवेश की तैयारी में

प्रधान सचिव से मिले थे एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर : पिछले दिनों दिल्ली में हुई निवेशक सम्मेलन में एचयूएल और अडाणी समूह ने बिहार में निवेश करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। एचयूएल की दिलचस्पी बिहार में निवेश करने की है। इस संबंध में कंपनी के आला अधिकारी उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौड्रिक से मिल भी चुके हैं। एचयूएल ने एफएमसीजी यानी साबुन-तेल व इस तरह के दूसरे उत्पादों के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की रणनीति बनाई है।

पिछले साल बिहार को मिला 36 हजार करोड़ का निवेश प्रस्ताव : पिछले साल राज्य सरकार द्वारा इथेनॉल नीति बनाने के बाद करीब तीन दर्जन से अधिक निवेश प्रस्ताव मिले। जिसमें राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीवी) द्वारा करीब 36 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पूर्णिया के एक प्लांट से इथेनॉल का उत्पादन भी शुरू हो गया है। आरा में इथेनॉल प्लांट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.7.2022)**

ई-बिल के दायरे में छोटे कारोबारी जल्द

जल्द माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत पाँच करोड़ रुपये से अधिक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को कंपनियों के बीच (बी2बी) लेन-देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस या बिल निकालना होगा। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया था। जौहरी ने पीएचडीसीसीआई के कार्यक्रम में कहा, हमने एक बहुत ऊँची सीमा के साथ शुरुआत की है और जल्द पाँच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले सभी करदाताओं को ई-बिल निकालने होंगे। मौजूदा समय में 20 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए ई-इन्वॉयस निकालना होता है।

कर अधिकारियों को बिल मिलान नहीं करना होगा : ई-इन्वॉयस लागू होने के बाद प्रत्येक बी2बी लेनदेन के लिए जीएसटी के तहत कर अधिकारियों को बिल के मिलान की जरूरत नहीं होगी। जीएसटी के तहत एक अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए बी2बी लेनदेन के लिए ई-बिल निकालना अनिवार्य कर दिया गया था। एक जनवरी, 2021 से इसे 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार और पिछले साल एक अप्रैल से 50 करोड़ से अधिक के कारोबार वाली कंपनियाँ बी2बी ई-बिल निकाल रही हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 8.7.2022)**

चैम्बर में निःशुल्क टैली एकाउंटिंग का नया सत्र आरंभ

टैली प्रशिक्षण के नये सत्र के प्रशिक्षणार्थियों के साथ चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री सबल राम डोलिया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के तत्वावधान में संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में निःशुल्क टैली एकाउंटिंग कोर्स का नया सत्र आरंभ हो गया। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि टैली एकाउंटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं एवं युवतियों की मांग को देखते हुए चैम्बर की ओर से 1 अप्रैल 2022 से टैली एकाउंटिंग कोर्स का प्रशिक्षण शुरू हुआ था। प्रथम बैच में 40 युवक एवं युवतियाँ थी, जिनमें से 37 को फाइनल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गयी थी। तीन प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं रहने के कारण उन्हें फाइनल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गयी थी।

श्री अग्रवाल ने बताया कि ऑनलाइन आयोजित फाइनल परीक्षा में 37 परीक्षार्थियों में से 3 को ग्रेड-'ए प्लस', 16 को ग्रेड 'ए' एवं 18 को ग्रेड 'बी' प्राप्त हुआ है। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों के बेहतर भविष्य की कामना की है।

उन्होंने कहा कि चैम्बर द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क टैली एकाउंटिंग कोर्स का प्रशिक्षण निरंतर चलता रहेगा। इसलिए वैसे युवक एवं युवती जिन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की है और कम्प्यूटर की जानकारी रखते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें उनसे किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 17.7.2022)

मुजफ्फरपुर मेगा फूड पार्क में बड़ा निवेश कर सकता है अडानी समूह

- कंपनी की टीम ने मोतीपुर व बेला का लिया जायजा देखी सुविधाएँ
- 143 एकड़ जमीन पर मेगा फूड पार्क खुलना है मुजफ्फरपुर जिले में
- 2 हजार लोगों को मिल सकता है रोजगार

अडानी विल्मर कंपनी मुजफ्फरपुर में बड़ा निवेश कर सकती है। कंपनी की टीम 27.6.2022 को मोतीपुर फूड पार्क और बेला औद्योगिक क्षेत्र पहुँची। कंपनी के अधिकारियों ने दोनों स्थानों का जायजा लिया व सुविधाओं की जानकारी जुटाई। कंपनी यहाँ खाद्य तेल का प्लांट लगा सकती है।

बिहार में अडानी समूह का पहला प्लांट होगा : फूड प्रोसेसिंग में देश की अग्रणी कंपनियों में शुमार अडानी विल्मर की बिहार में पहली इकाई मुजफ्फरपुर में खुलने की उम्मीद जगी है। फिलहाल कंपनी की गुजरात व हरियाणा समेत करीब आधा दर्जन राज्यों में फूड प्रोसेसिंग की इकाईयाँ चल रही हैं। मुजफ्फरपुर में बनने वाला खाद्य तेल पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश व झारखण्ड आदि राज्यों तक भेजा जा सकेगा।

"अडानी विल्मर कंपनी की ओर से जिले के दो औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ा निवेश किए जाने की संभावना है। इसके लिए कंपनी की टीम ने दोनों औद्योगिक क्षेत्रों का जायजा लिया है। निरीक्षण बेहद संतोषजनक रहा है। बियाडा की ओर से कंपनी को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा।"

– रवि रंजन प्रसाद, कार्यकारी निदेशक, बियाडा

कंपनी के इंजीनियरों की टीम जल्द करेगी निरीक्षण : अडानी विल्मर कंपनी की इंजीनियरों की टीम जल्द ही जिले के दोनों औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करेगी। यह टीम दोनों जगहों पर प्लांट लगाने के लिए संभवनाओं को देखेगी। कंपनी की टीम के पहले निरीक्षण से उत्साहित बियाडा के अधिकारियों ने दूसरे निरीक्षण के लिए तैयारी शुरू कर दी है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 28.6.2022)**

गैर ब्रांडेड चीजों पर टैक्स लगेगा

चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुआ फैसला

चण्डीगढ़ में दो दिनों तक चली जीएसटी कांउसिल की बैठक में कई उत्पादों और वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी की दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही बिना ब्रांड वाले खाने के आइटम और अनाजों पर अब तक जीएसटी नहीं लगाया जाता था लेकिन अब इन पर संशोधन किया गया है।

सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक प्री-पैक, प्री-लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क सहित चीजों को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल रिटेल पैक से छूट के दायरे को संशोधित करने की सिफारिश की गई है।

क्या हुआ सस्ता

उत्पाद-सेवाएँ	पुरानी दर	लागू दर
हड्डी से जुड़ी बीमारी के इलाज के सामान	12%	5%
फाइलेरियारोधी दवा	05%	0%
सैन्य उत्पाद पर आईजीएसटी	लागू दर	00
ट्रक-मालवाहक को किराये पर देना तेल सहित	18%	12%
रोपवे से माल ढुलाई और यात्रा	18%	5%

नोट : खाद्य तेल और कोयला पर आईटीसी रिंफड नहीं मिलेगा

क्या हुआ महंगा

उत्पाद-सेवाएं	पुरानी दर	लागू दर
प्रिंटिंग इंक	12	18

केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियंत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET) के 17वीं क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक में चैम्बर अध्यक्ष शामिल हुए

केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियन्त्रिकी प्रोद्योगिकी संस्थान (CIPET) हाजीपुर के 17वीं क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19 जुलाई 2022 को प्रधान सचिव, उद्योग विभाग श्री संदीप पैंड्रिक, भा. प्र. से. की अध्यक्षता में उद्योग विभाग के सभाकक्ष में हुई। बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से श्री पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष सम्मिलित हुए।

बैठक में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (बाएँ से प्रथम)

चिट फंड सेवा	12	18
पानी के पंप, साइकिल पंप	12	18
आटा चक्की, दाल मशीन, अनाज छंटाई मशीन	05	18
डेयरी मशीन, फल-कृषि उत्पाद छटाई मशीन	12	18
सर्किट बोर्ड	12	18
ड्राइंग और मार्किंग उपकरण	12	18
सोलर वाटर हीटर	05	12
नक्शे, ग्लोव	00	12
मिट्टी से जुड़े उत्पाद	05	12
सरकारी संस्थानो को दिए जाने वाले उपकरण	05	18
टेट्रा पैक	12	18

(दर % में)

किस पर कितना जीएसटी

उत्पाद	पुरानी दर	लागू दर
चाकू, शार्पनर	12	18
एलईडी लाइट	12	18
चमड़े की चीजे	05	12
तराशे हीरे	0.25	1.50
चेकबुक	0	18

(दर % में)

बताया गया कि राज्यों की क्षतिपूर्ति पर फैसला नहीं हुआ और ऑनलाइन गेम पर टैक्स तय करने के लिए मंत्री समूह को 15 दिन की मोहलत दी गई है।

नए बदलाव के बाद एक हजार रुपये तक कमरे के होटल पर 12 फीसदी जीएसटी और अस्पताल के पाँच हजार रुपये से अधिक वाले कमरे पर पाँच फीसदी जीएसटी देना होगा।

कई दरों को युक्तिसंगत बनाया गया : वितमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है की दरों पर बनी फिटमेंट कमेटी की सिफारिशों को काउंसिल की मंजूरी मिल गई है। इनमें कई कैटेगरी की वस्तुओं और तमाम श्रेणियों की सेवाओं में दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 30.6.2022)**

योजना : जीएसटी की सिर्फ तीन श्रेणी में बदलाव संभव

- **05 फीसदी श्रेणी में ज्यादातर खाद्य वस्तुएँ शामिल हैं**
- **60 फीसदी राजस्व में हिस्सेदारी 18 फीसदी जीएसटी श्रेणी से**

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार की विलासिता वाले उत्पादों पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर को ही कायम रखने की मंशा है। हालांकि, वह कर की तीन अन्य श्रेणियों को दो श्रेणियों में बदलने पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि सरकार मौजूदा चार की बजाय जीएसटी की तीन श्रेणी रखना चाहती है। साथ ही 5, 12 और 18 फीसदी श्रेणी में बदलाव कर सकती है।

श्री बजाज ने उद्योग मंडल एसोचैम के कार्यक्रम में कहा कि एक विकासशील एवं आय असमानता वाली अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे लग्जरी उत्पाद होते हैं जिन पर ऊँची कर दर लगाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर इस बात पर विचार करना होगा कि क्या इन दरों को कम सिर्फ एक कर सकते हैं।

पदार्थों पर कर से व्यापारियों की परेशानी बढ़ेगी : पैक किए गए और लेबल वाले खाद्य पदार्थो पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने से खाद्यान्न व्यापारियों को नुकसान होगा, अनुपालन का बोझ बढ़ेगा और रोजमर्रा के इस्तेमाल का जरूरी सामान महँगा होगा। व्यापारियों के संगठन कैट ने यह बात की।

मंत्री समूह कर रहा विचार : जीएसटी परिषद ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह बनाया है जो कर दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गौर कर रहा है। मंत्री समूह को अंतिम रिपोर्ट देने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। राजस्व सचिव ने कहा कि जीएसटी प्रणाली में ऊँची और निचली दरों के अवलोकन समय है।

"इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि दरों की संख्या में कटौती की जरूरत है या नहीं। हालांकि, अन्य तीन कर दरों को हम दो दरों में समायोजित कर सकते हैं।" **– तरुण बजाज,** राजस्व सचिव **(साभार : हिन्दुस्तान, 5.7.2022)**

पैकेट वाले आटे, पापड़, छाछ पर लगेगा टैक्स

जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव मंजूर

जीएसटी परिषद ने कुछ सामानों पर छूट को वापस लेने के साथ ही कुछ अन्य पर दरें बढाये जाने का फैसला किया है। इससे अब डिब्बाबंद और लेबल-युक्त गेहूँ आटा, पापड़, पनीर, दही और छाछ पर पाँच प्रतिशत कर लगेगा। केन्दीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद की दो दिन की बैठक में विभिन्न समूहों के दरों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में दिये गये सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है। इससे कर की दरों में बदलाव हुए हैं। कर दर में बदलाव 18 जुलाई से प्रभाव में आयेंगे। हालांकि परिषद ने कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर रिपोर्ट को मंत्री समूह के पास फिर विचार के लिए भेज दिया है। इस बारे में रिपोर्ट 15 जुलाई तक तैयार हो जाने की उम्मीद है और अगस्त की बैठक में इस पर विचार किया जायेगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जीएसटी बना रहेगा : बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जीएसटी बना रहेगा। इ-कॉमर्स के आपूर्तिकर्ताओ वस्तुओं और सेवाओं का कारोबार क्रमश: 40 लाख और 20 लाख से कम है तो 2023 से पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 30.6.2022)

आदेश : खाद्य तेल के दाम घटाएँ देशभर में कीमत एक समान करें

अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के बाद केन्द्र सरकार ने खाद्य तेल निर्माता कंपनियों को फौरन कीमत कम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कंपनियों को एक सप्ताह के अंदर दस रुपए प्रति लीटर कीमत कम करने की हिदायत दी है। इसके साथ सरकार ने यह निर्देश भी दिया है कि पूरे देश

Congratulations

We take pleasure to inform you that Shri Navin Gupta of Krishna Agencies Pvt. Ltd. Patna has been re-elccted as National Secretary of Federation of All India IT Association (FAITTA) for the term 2022-24

Chamber congratulates Shri Navin Gupta and hopes with his experience and best efforts the FAIITA will achieve greater hights.

में एक ब्रांड के खाद्य तेल का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) एक होनी चाहिए।

क्यों बढ़े थे दाम : भारत अपनी खाद्य तेल जरूरत का 60 फीसदी आयात करता है। इस साल यूक्रेन-रूप युद्ध के कारण खाद्य तेल कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया क्योंकि वैश्विक खाद्य तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा दोनों देश निर्यात करते हैं। वहीं इडोनेशिया ने 28 अप्रैल को निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। इससे देश में तेजी से दाम बढ़ा।

वजन घटाने का खेल बंद करें कंपनियाँ : बैठक में खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों पर भी चर्चा हुई। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि कुछ कंपनियाँ खाद्य तेल 15 डिग्री तापमान पर पैक करती हैं। इस तापमान पर तेल फैलता है और उसका वजन कम होता है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.7.2022)

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए समिति गठित

जीएसटी परिषद ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया है जो माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कानून में आवश्यक बदलावों के बारे में सुझाव देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के बारे में विभिन्न राज्यों द्वारा जो चिंताएँ जताई गई हैं उनका समाधान निकालने के लिए मंत्री समूह बनाने का निर्णय पिछले हफ्ते लिया था।

जीओएम के नियम एवं शर्तो के मुताबिक समिति जीएसटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करेगी। छह सदस्यीय समूह यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी संशोधन न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित विभिन्न अदालती फैसलों के अनुरूप हो। मंत्री समूह 31 जुलाई तक परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। जीओएम के अध्यक्ष चौटाला हैं। इसके अन्य सदस्य हैं, आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गाना राजेन्द्रनाथ, गोवा के उद्योग मंत्री मौविन गोडिन्हो, राजस्थान के कानून एवं वैधानिक मामलों के मंत्री शांति कुमार धारीवाल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी।

मंत्री समूह राज्यों की चिंताओं को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के आलोक में देखेगा जिसमें कहा गया था कि जीएसटीएटी में तकनीकी सदस्यों की संख्या न्यायिक सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा था कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के बारे में मंत्रियों की समिति एक महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगी।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 9.7.2022)

सितम्बर से पहले जारी होगी पाँच वर्षीय विदेश व्यापार नीति

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, जिला निर्यात हब योजना विदेश व्यापार नीति का हिस्सा होगी, शुरूआत में 50 जिले शामिल किए जाएंगे।

वाणिज्य मंत्रालय पाँच वर्षीय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को सितम्बर से पहले जारी करने में जुटा है। एक अधिकारी के अनुसार, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने वाली जिला निर्यात हब योजना भी एफटीपी का हिस्सा होगी। अधिकारी ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) एफटीपी तैयार कर रहा है और जल्द ही जिला निर्यात योजना से जुड़े फंड की मंजूरी के लिए प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 4.7.2022)

एनपीए प्रोविजनिंग के नियमों में होगा बदलाव

छह वर्षों की लगातार मेहनत के बाद देश के बैंकिंग सेक्टर के समक्ष फंसे कर्ज यानी एनपीए (नाम परफार्मिंग एसेट्स) की समस्या काफी हद तक नियंत्रण में आती दिख रही है। आरबीआइ रिपोर्ट बताती है कि मार्च, 2022 में बैंकों का शुद्ध एनपीए घटकर 1.7 फीसद पर आ गया है, जो पिछले दो दशकों का सबसे न्यूनतम स्तर है। फायदा उठाते हुए अब सरकार और आरबीआइ के बीच एनपीए की प्रोविजनिंग के मौजूदा तौर-तरीके को बदलने पर चर्चा हुई है। इसका मकसद ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे एनपीए घोषित होने के बाद बैंक उसके लिए प्रोवजनिंग नहीं करें। बल्कि भविष्य के एनपीए का अनुमान लगाते हुए पहले से ही प्रोविजनिंग की जाए। वर्ष 2008-09 में वैश्विक संकट के बाद कई देशों ने यह तरीका अपना रखा है। भारत भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है। प्रोविजजिंग के नियम के तहत कर्ज की जितनी राशि डूबती है, उसका एक हिस्सा बैंकों को अपनी पूँजी से (शुद्ध मुनाफे) से अलग रखना होता है।

लगातार घट रहा फंसे कर्ज का स्तर : बीते सप्ताह आरबीआइ ने वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में बताया था कि पूरे बैंकिंग सेक्टर का सकल एनपीए मार्च, 2021 के 7.4 प्रतिशत से घटकर मार्च, 2022 में 5.9 प्रतिशत पर आ गया था। मार्च, 2023 में यह घटकर 5.3 प्रतिशत हो सकता है। जबकि शुद्ध एनपीए भी इस दौरान 2.4 प्रतिशत से घटकर 1.7 प्रतिशत पर आ गया है। बीती आठ तिमाहियों से लगातार फंसे कर्ज का स्तर घट रहा है।

(साभार : दैनिक जागरण, 4.7.2022)

सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के बाद नया फरमान

सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई से प्रतिबंध लग चुका है। नया मसला यह कि अब इस प्रतिबंध को संशोधित कर दिया गया है। इसमें फूड पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाकर ब्रांडेड कंपनियों को आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अगर मैन्यूफैक्चरर्स गैर ब्रांडेड कंपनियों को ऐसे उत्पाद देते हैं तो दुरुपयोग को स्थिति में जिम्मेदारी मैन्यूफैक्चरर्स की ही होगी।

बिहार थर्मो फामर्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस नये फरमान से और भ्रम फैल गया है। हमलोग पोली प्राप्लीन मैटेरियल से प्लास्टिक कप, ग्लास, थाली आदि कटलरी उत्पाद बनाते थे। इस पर एक जुलाई से प्रतिबंध लगाया गया। अब संशोधन आया है जिसमें कहा गया है कि हमारी यूनिटों को कंपनियाँ पोली प्राप्लीन की आपूर्ति जारी रखेंगी। इस मैटेरियल से हम फूड पैकेजिंग कप, ग्लास, कटोरी आदि बना सकेंगे लेकिन इसकी आपूर्ति सिर्फ करार के तहत ब्रांडेड कंपनियों को ही कर सकेंगे जो आइसक्रीम, जूस सहित अन्य फूड प्रोडक्ट बेचती हैं। अगर हम किसी गैर ब्रांडेड कंपनी को पैकेजिंग उत्पाद बेचते हैं, तो उपयोग के बाद उन उत्पादों का री-साइकिल हमें करना होगा। दुरुपयोग की भी जिम्मेदारी उत्पादकों पर ही डाल दी गई है। उन्होंने कहा कि कैसे संभव होगा।

इस संशोधित आदेश के बाद छोटी यूनिटें बंद हो जाएँगी क्योंकि ब्रांडेड कंपिनयों से चुनिंदा यूनिटों का ही पैकेजिंग उत्पाद बनाने का करार है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पोली प्राप्लीन से ही उत्पाद बनवाना था तो फिर इस पर प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब है। फिर तो मामला वहीं आ गया, जहाँ प्रतिबंध से पहले था।

(साभार : दैनिक जागरण, 9.7.2022)

बिना बैंकिंग लाइसेंस नहीं कर सकेंगे वित्तीय कारोबार

• आरबीआइ ने डिजिटल लैंडिंग से जुड़े नियम बनाने के लिए उच्च-स्तरीय समिति बनाई • समिति से जुड़े सूत्र ने कहा-तकनीकी विकास के खिलाफ नहीं, ग्राहकों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा

तकनीक के सहारे पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था को चुनौती दे रहीं फिनटेक कंपनियाँ संभवत: अभी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। पिछले हफ्ते आरबीआइ ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआइ) लाइसेंस की आड़ में ऋण देने वाली फिनटेक कंपनियों पर नकेल कसी है। साथ ही आने वाले दिनों में तकनीक आधारित सभी तरह की वित्तीय कंपनियों (फिनटेक) के लिए कायदे-कानून

सख्त बनाए जाने का संकेत दिया है। इस बारे में आरबीआइ की तरफ से डिजिटल लैंडिंग (मोबाइल एप या वेबसाइट के जरिये लोन देने की व्यवस्था) से जुड़े नियम बनाने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की है जो फिनटेक के भविष्य पर फैसला करेगी। अभी तक मिले संकेत बताते हैं कि अगर कोई भी तकनीक कंपनी वित्तीय लेन-देन से जुड़ा कारोबार करती है तो उसे बैंकिंग से जुड़ा लाइसेंस भी लेना होगा।

आरबीआइ समिति की बैठक की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के मुताबिक, किसी वित्तीय कंपनी को सिर्फ इसलिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता कि वह अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर सेवाएँ दे रही हैं। केन्द्रीय बैंक, बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र में हो रहे तकनीकी विकास के खिलाफ नहीं है लेकिन एक नियामक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकता।

(साभार : दैनिक जागरण, 26.6.2022)

करदाताओं की तादाद दोगुनी, टैक्स कलेक्शन डेढ़ गुना से ज्यादा, लेकिन पाँच साल में एक हजार से अधिक बदलाव

जीएसटी ने बीते पाँच साल में अप्रत्यक्ष करों का जटिलताएँ काफी हद तक कम की हैं। 40 तरह के टैक्स और उपकर (सेस) की जगह एक टैक्स के चलते कारोबारियों और टैक्स प्रेक्टिशनर्स का काम आसान हो गया है। इस बीच टैक्स चोरी घटी, करदाताओं की तादाद दोगुनी हो गई और सालाना इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डेढ़ गुना से ज्यादा हो गया। फिर भी एक तिहाई से ज्यादा कारोबारी जीएसटी को जटिल मानते हैं। इसके नियमों के अनुपालन में उन्हें पहले से ज्यादा समय लगता है। इसकी वजह है, बीते 60 महीनों के दौरान जीएसटी के नियम-कायदों में 1,100 से ज्यादा बदलाव हुए जिसने करदाताओं और टैक्स प्रैक्टिशनर्स दोनों को परेशान किया। इसके अलावा, पाँच साल बाद भी पेट्रोल-डीजल के जीएसटी के दायरे से बाहर होने के चलते आम आदमी भी निराश है। अप्रत्यक्ष करों की नई व्यवस्था की शुरूआती मुश्किलें झेलने के बावजूद लोगों को वो राहत नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी।

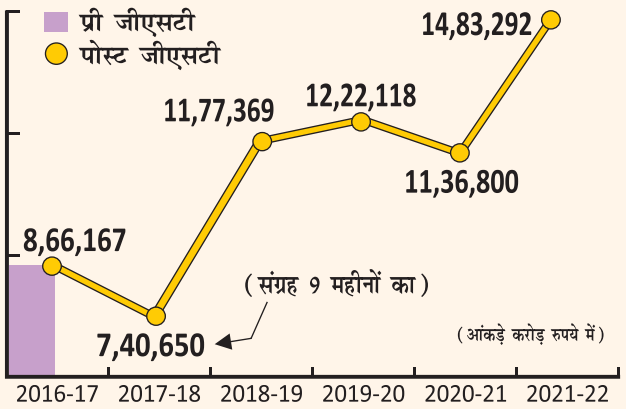

15 लाख करोड़ के करीब पहुँचा जीएसटी कलेक्शन : जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का संग्रह बढ़ाने में सफल रहा है। जीएसटी लागू होने से पहले केन्द्र और राज्य सरकार का कुल अप्रत्यक्षकर राजस्व 8.66 लाख करोड़ था, जो अब 14.83 लाख करोड़ है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 1.7.2022)

क्रिसिल फ्रेट इंडेक्स घटकर 123 पर पहुँचा

ट्रांसपोर्टर्स के फ्री-कैश फ्लो और प्रॉफिट मार्जिन में भी इससे अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली

सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का सकारात्मक असर जून में माल-भाड़े में कमी के रूप में दिखाई दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने देश के लगभग 90% रूट्स पर माल भाड़ा कम कर दिया। यही नहीं, डीजल की कीमतें कम होने से ट्रांसपोर्टर्स के फ्री- कैश फ्लो यानी नकदी और प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 1.7.22)**

मनोनयन

बिहार चैम्बर के सदस्य श्री पवन कुमार अग्रवाल, महामंत्री, पश्चिमोत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, छपरा, मंडल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्शदात्री समिति, पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी के दिनांक 1.1.2022 से 31.12. 2023 तक सदस्य मनोनीत किये गये हैं।

सदस्यों से आग्रह है कि पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी से सम्बन्धित समस्याओं से श्री अग्रवाल को अवगत कराये।

बड़े बदलावों के साथ आया जुलाई

जुलाई का महीना शुरू हो गया है और आज जुलाई का पहला दिन है। इस दिन से कई चीजों में बड़े बदलाव हैं, जिनका असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। 1 जुलाई से टीडीएस का दायरा भी बढ़ा दिया गया है और सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी पूरी तरह से बैन लगाया जा रहा है। ऐसे में आज हम इन बदलावों के बारे में ही जानते हैं कि ये नया महीना किन बदलावों के साथ आपके सामने आया है।

1. टीडीएस का बढ़ा दायरा : क्रिप्टोकरेंसी : क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार की ओर से 30 परसेंट का टैक्स लगाए जाने के बाद 1 जुलाई से क्रिप्टो निवेशकों को एक और झटका लगा है। अब निवेशकों को सभी तरह के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1 परसेंट की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा, चाहे वो क्रिप्टो असेट लाभ में बेचा गया हो या फिर नुकसान में।

गिफ्ट : 1 जुलाई 2022 से व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10 परसेंट की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) देना होगा। ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए टीडीएस देना तब जरूरी होगा जब किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य से गिफ्ट दिया गया हो, जबकि डॉक्टरों को मिलने वाली मुफ्त दवा के सैंपल, विदेशी फ्लाइट टिकट या अन्य महंगे गिफ्ट पर यह नियम लागू होगा।

2. अब एसी हुआ महँगा : ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एयर कंडीशनर्स के लिए एनर्जी रेटिंग रूल्स में बदलाव किया है, जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू हो गए है, इसके मुताबिक, अब 5-स्टार एसी की रेटिंग सीधे 4-स्टार हो जाएगी। ऐसे में भारत में एसी की कीमतों में आने वाले समय में 10 परसेंट तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है।

3. सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन : सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के इस फैसले की वजह से पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट बनाने और बेचने वाली कंपनियों पर आने वाले समय में बड़ा असर देखने को मिल सकता है।

4. लेबर कोड के बदले नियम : मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक जुलाई से लेबर कोड के नए नियम लागू हो रहे हैं। इसका असर सैलरी, ऑफिस टाइमिंग, पीएफ योगदान में देखने को मिल सकता है। इन नियमों के मुताबिक, कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है, यानी कर्मचारियों को 4 दिन में 48 घंटे यानी हर दिन 12 घंटे काम करना होगा।

5. अब आधार-पैन लिंक में देना होगा 1000 रुपए : आधार से पैन को लिंक कराने 30 जून तक 500 रुपए जुर्माने के साथ समय दिया गया था। लेकिन अब यही जुर्माना दोगुना हो गया है। यानी अब आधार-पैन को लिंक कराने के लिए आपको 1000 रुपए जुर्माना जमा करना होगा।

(Sourec : Inext, 1.7.2021)

सोना महंगा हुआ, केन्द्र ने इम्पोर्ट ड्यूटी 4.25% बढ़ाकर 15% की

केन्द्र सरकार ने सोने के आयात पर अंकुश लगाने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी 10.75 से 4.25% बढ़ाकर 15% कर दी। इस फैसले से सोने के आयात पर सभी शुल्क सहित कुल टैक्स बढ़कर 18.45% हो गया, जो पहले 14.07% था। नई दरें

30 जून से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सोने की मांग घटेगी और चालू खाते का घाटा कम होगा। डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए को संभालने में भी मदद मिलेगी। बुलियन कारोबारियों के मुताबिक बाजार खुलते ही कीमतों पर इसका असर भी दिखा। इंडिया बुलियन एण्ड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, सुबह 24 कैरेट सोना 986 रुपए (1.94%) की उछाल के साथ 51,849 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।

(साभार : दैनिक भास्कर, 2.7.2022)

नोटों के 11 चेक अप होंगे, अनफिट हुए तो बाहर

रिजर्व बैंक के नोट परखने के नए मानक जारी, अब नोट फिटनेस सार्टिंग मशीन प्रयोग की जाएँगी

रिजर्व बैंक ने फिटनेस जांच अनिवार्य करते हुए नोटों की सेहत के 11 मानक तय किए हैं। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे नोट सार्टिंग मशीनों की जगह नोट फिटनेस सार्टिंग मशीनें इस्तेमाल करें। जो इन मानकों पर नोटों की फिटनेस परखेंगी। इस जाँच में डॉग इयर्स करेंसी (मुड़े कोनों वाले नोट), कई परतों में मुड़े हुए, बदरंग और टेप या गोंद से चिपके नोट भी अनफिट मानकर प्रचलन से बाहर कर दिए जाएंगे। यह निर्देश रिजर्व बैंक के चीफ जनरल मैनेजर संजीव प्रकाश ने को जारी किए हैं। अब तक नोट सार्टिंग मशीनें असली-नकली और बेहद जर्जर के पैमानों पर ही नोट छांटती हैं। नए निर्देश में कहा गया है कि नोट बंदी के बाद दस रुपए और उससे ज्यादा मूल्य के सभी नोट बदले जा चुके हैं। अब नोटों की छंटाई करने वाली मशीनों को भी बदलने की जरूरत है। 11 में से किसी एक मानक पर नोट फिट न हुए तो मशीनें उन्हें रिजेक्ट कर देंगी। अनफिट नोट के स्थान पर बैंक उपभोक्ता को दूसरा सेहतमंद नोट देंगे।

हर तीन महीने में देनी होगी रिपोर्ट : बैंक हर तीन महीने में रिजर्व बैंक को फिटनेस रिपोर्ट भेजेंगे। उन्हें बताना होगा कि इन तीन महीनों में किस मूल्य के कितने नोट किस मानक पर अनफिट पाए गए।

फिटनेस टेस्ट में फेल होंगे ऐसे नोट : • मुड़े कोनों वाले नोट (डॉग इयर्स करेंसी) • कई परतों में मुड़े हुए नोट • मोड़ने से आकार विकृत नोट • धुलने से बदरंग हुए नोट • टेप, कागज या गोंद से चिपकाए हुए नोट • दोनों ओर पूरी तरह गंदे नोट • पहचान चिन्हों में विकृति वाले नोट • जरा भी फटे हुए नोट • छेद वाले नोट • दाग वाले नोट • चित्रकारी वाले नोट

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.7.2022)

देश में 75 टेक्सटाइल हब बनाएगी सरकार

टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल का दावा है कि सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में तिरुपुर जैसे 75 टेक्सटाइल हब स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि अगर एक टेक्सटाइल हब में 50,000 करोड़ का उत्पादन शुरू हो जाता है तो एक हब में लाखों की संख्या में युवाओं को नौकरी मिल जाएगी।

तमिलनाडु का तिरुपुर देश का प्रमुख टेक्सटाइल हब है जहाँ 10, 000 से अधिक गारमेंट मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट हैं और वहाँ छह लाख से अधिक लोग काम करते हैं। गोयल ने कहा कि 37 साल पहले वर्ष 1985 में तिरुपुर 15 करोड़ रुपये का निर्यात करता था। इस साल मार्च में खत्म होने वाले वित्त वर्ष में तिरुपुर से 30,000 करोड़ रुपये के निर्यात का अनुमान है जो वर्ष 1985 के मुकाबले 2000 गुना अधिक है। रोजगारपरक क्षेत्र होने की वजह से सरकार टेक्सटाइल पर काफी फोकस कर रही है। जल्द ही पीएम मित्र स्कीम के तहत देश के विभिन्न राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 4.7.2022)**

बिजली कंपनी ने की प्रथम तिमाही में रिकॉर्ड कमाई

चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में बिजली कंपनी (बीएसपीएच-सीएल) ने 3015 करोड़ के ऐतिहासिक राजस्व वसूली की है। पिछले पाँच वित्तीय वर्षों की अपेक्षा इस तिमाही में प्रतिमाह औसत 1005 करोड़ की वसूली कर कंपनी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। महँगी बिजली खरीद कर राज्य के उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कंपनी ने राजस्व संग्रहण में यह वृद्धि हासिल की है।

कंपनी के अनुसार पुराने बकायेदारों (डिफाल्टर उपभोक्ताओं) के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया गया है। इससे नए वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही यानी अप्रैल से जून माह तक कुल 3015 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राजस्क वसूली की गई है। विगत वित्तीय वर्ष की पहले तिमाही के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष की समान अवधि में राजस्व वसूली में लगभग 48 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी ने 1346 करोड़ और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी ने 1668 करोड़ की वसूली की है। राजस्व में 979 करोड़ की तात्कालिक वृद्धि पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में सर्वाधिक है। कंपनी के सीएमडी संजीव हंस ने कहा कि एक डेडीकेटेड टीम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हर अभियंता के लिए एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाया गया, जिसमें उनको बिलिंग, विद्युत चोरी रोकथाम, राजस्व संग्रहण तथा बकायेदारों से पूर्ण वसूली के लिए अलग-अलग लक्ष्य बना कर प्रत्येक डिवीजन ऑफिस को दिया गया। बकायेदारों के खिलाफ कड़ाई के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इससे हमारा राजस्व संग्रह भी बढ़ा है।

"रिकॉर्ड राजस्व वसूली के लिए सभी कर्मियों को बधाई। यह रिकॉर्ड हमारे लगातार मॉनिटरिंग एवं उपभोक्ताओं के सहयोग का ही नतीजा है। आगे भी हम इसे कायम रखने की कोशिश करेंगे। विद्युतकर्मी घर-घर जाकर मीटर की जाँच कर रहें हैं। मीटर से छेड़छाड़ करने वालों और सभी तरह के बकायदारों पर कार्रवाई की जा रही है। विशेष प्रयासों के कारण इस वित्तीय वर्ष में राजस्व वसुली का नया रिकॉर्ड बना है।" **– बिजेन्द्र प्रसाद यादव,** मंत्री, ऊर्जा विभाग

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.7.2022)

शाही लीची व इससे बने उत्पादों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार

जिले की पहचान शाही लीची आत्मनिर्भर भारत योजना से विदेश में धूम मचाएगी। केन्द्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल शाही लीची व इससे बने उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। लीची व इससे बनने उत्पादों के निर्यात की स्थिति में यहाँ के स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार होगा। लीची व उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप बनाने के लिए किसानों, व्यवसायियों, उद्यमियों व कारीरागें को तकनीकी मदद दी जाएगी। इस संबंध में केन्द्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय ने उद्योग विभाग से लीची किसानों, उद्यमियों, कारीगरों व व्यवसायियों की सूची मांगी है।

आत्मनिर्भर भारत योजना : • केन्द्रीय मंत्रालय ने उद्योग विभाग से मांगी लीची किसान, व्यवसायियों व उद्यमियों की सूची • केन्द्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल है जिले की प्रसिद्ध शाही लीची • 12 हजार हेक्टर मूमि पर लीची की पैदावार होती है जिले में • 01 लाख टन लीची की पैदावार होती है सालाना मुजफ्फरपुर जिले में

लीची पर बनेगा बेसलाइन डाटा : लीची को निर्यात से जोड़ने के लिए बेस लाइन डाटा तैयार किया जाएगा। जिले में 12 हजार हेक्टर भूमि पर लीची की पैदावार होती है। सालाना एक लाख टन लीची की पैदावार होती है। विदेश में बहुत कम लीची का निर्यात होता है। कुछ कंपनी खाड़ी व यूरोप के देशों में लीची व इससे जुड़े उत्पादों का निर्यात करती है। वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट के तहत लीची को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार के स्तर से योजना शुरू की गई है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 27.6.2022)**

खाने के बिल पर सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे होटल

होटल एवं रेस्टूरेंट अब ग्राहकों से खाने के बिल पर सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने होटल व रेस्टूरेंट को खाने के बिल में स्वत: लगनेवाला सर्विस चार्ज को जोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। आदेश का उल्लंघन होने पर उपभोक्ता इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। सीसीपीए के मुख्य आयुक्त की और से जारी इस दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्टूरेंट बिल में अपने-आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते।

इसके अलावा किसी अन्य नाम से भी सर्विस चार्ज नहीं वसूला जायेगा। रेस्टूरेंट व होटल आमतौर पर खाने के बिल पर 10 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज लेते हैं।

'टिप' को लेकर भी सीसीपीए ने किया स्पष्ट : सीसीपीए ने अपने दिशा-निर्देश में कहा कि 'टिप' उपभोक्ता व होटल प्रबंधन के बीच अनुर्बाधित बुनियादी न्यूनतम सेवा से परे प्राप्त सेवा के लिए है। भोजन पूरा करने के बाद ही उपभोक्ता गुणवता के साथ सेवा का आकलन करता है। फिर यह तय करने की स्थिति में होता है कि 'टिप' का भुगतान करना है या नहीं, यदि हाँ, तो कितना। उपभोक्ता द्वारा 'टिप' का भुगतान करने का निर्णय केवल होटल या रेस्टूरेंट में प्रवेश करने या ऑर्डर देने से नहीं होता है।

दिशा-निर्देश की खास बातें : • कोई भी होटल या रेस्टूरेंट ग्राहकों को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते • यह सेवा पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक व ग्राहकों के विवेक पर निर्भर करेगा • ग्राहकों पर सर्विस चार्ज के संग्रह के आधार पर प्रवेश या सेवाओं को लेकर होटल या रेस्टूरेंट कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते • सर्विस चार्ज को खाने के बिल के साथ जोड़ कर व कुल राशि पर जीएसटी लगा कर एकत्र नहीं कर सकते • यदि किसी को लगता है कि होटल या रेस्टूरेंट सर्विस चार्ज ले रहे हैं, तो वे इसे बिल से हटाने का अनुरोध कर सकते हैं।

यहाँ कर सकते हैं अपनी शिकायत : • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर-1915 पर कॉल कर • एनसीएच मोबाइल एप के जरिये या सीसीपीए को इ-मेल के माध्यम से • इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इ-दाखिल पोर्टल के जरिये • उपभोक्ता आयोग में/संबंधित जिले के जिला कलेक्टर के पास

(साभार : प्रभात खबर, 5.7.2022)

ई-पासपोर्ट सेवा शुरू करेगी भारत सरकार

अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए शुरू होगी व्यवस्था

केन्द्र सरकार अंतरराष्ट्रीय यात्रा को ओर आसान बनाने जा रही है। इसके लिए भारत जल्द ही ई-पासपोर्ट सेवा शुरू करने जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर यह जानकारी दी।

सुरक्षा के लिए जरूरी : विदेश मंत्री ने बताया कि आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट और डेटा सिक्योरिटी के खिलाफ सुरक्षा को सक्षम करने के लिए भारत जल्द ही ई-पासपोर्ट शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के साथ विदेश मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। इससे भारत के नागरिकों को समय पर, विश्वसनीय, सुलभ, पारदर्शी और कुशल तरीके से पासपोर्ट और पासपोर्ट से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहरा रहा है।

नियमों को बनाया सरल : जयशंकर ने कहा कि सरकार पासपोर्ट नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने में बहुत सफल रही है। मिनिस्ट्री पुलिस वेरिफिकेशन में लगने वाले समय को कम करने के लिए राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों की पुलिस के साथ लगातार काम कर रह है। **(साभार : आईनेक्सट, 25.6.22)**

2026 में पटना में 3 फाइव स्टार होटल बन जाएँगे

सभी जिलों में हाईवे के किनारे खोले जाएँगे

होटल और ढाबा, पर्यटन विभाग देगा 50 लाख तक सब्सिडी

• हाइवे के किनारे कोई भी खोल सकता है ढाबा और होटल, सरकार देगी 35 से 50 लाख रुपए तक सब्सिडी • एचएच पर मिलेगी होटल व ढाबा की सुविधा

पटना के गाँधी मैदान के पास एक होटल में पर्यटन निगम के द्वारा सोमवार 4.7.2022 को पर्यटकों की सुविधा और पर्यटन स्थलों का विकास को लेकर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पर्यटन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि पटना स्थित गाँधी मैदान के पास बांकीपुर बस डिपो, इनकम टैक्स के पास होटल अशोका और आर ब्लॉक के पास सुल्तान पैलेस परिवहन विभाग के कार्यालय की जमीन पर एक-एक फाइव स्टार होटल 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना में एक भी फाइव स्टार होटल नहीं है। देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मंत्री ने कहा कि राजगीर व मंदार पर्वत पर रोपवे की सुविधा मिल रही है। दो स्थान-ब्रह्मयोगी एवं डुगेश्वरी पर्वत पर रोपवे की स्वीकृति दी गई है।

पर्यटन विभाग के अपर सचिव कंवल तनुज ने कहा कि बिहार में विदेशी पर्यटक काफी संख्या में आते है। बिहार पर्यटन हब है। 2019 में विदेशी पर्यटकों के मामले में देश के 9वें स्थान पर रहा। कोरोना काल के बाद पर्यटकों की संख्या तेजी बढ़ रही है। उम्मीद है कि इस साल भी देश-विदेश से पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा होगा। दूर एण्ड ट्रेवल्स के प्रतिनिधि, होटलों के संचालक, बिहार के सभी जिलों के पर्यटन प्रभारी पदाधिकारी, गाइड समेत पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित थे। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 5.7.2022)**

जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन के नए पुल के लिए 2200 करोड़ मंजूर, टेंडर इसी साल

केन्द्र ने दी हरी झंडी, तीन माह में पूरी होगी कागजी प्रक्रिया, 7.89 किमी (अप्रोच सहित) एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज बनेगा

केन्द्र ने परियोजना कार्यान्वयन यूनिट बनाई, 1 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर व 1 असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्टिंग हुई

केन्द्र ने जेपी दीघा सेतु के 180 मीटर पश्चिम नया ब्रिज बनाने के लिए 2200 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। पटना और सोनपुर के बीच गंगा पर बनने वाले इस ब्रिज का इसी साल टेंडर होगा। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 11.7.2022)**

विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने दी मंजूरी, जल्द ही केन्द्र के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव

बिहार में 10 स्टेट हाईवे का निर्माण होगा

जाम की समस्या से मिलेगी निजात

इन जिलों को लाभ : सुपौल, छपरा, सीवान, बक्सर, नवादा, गया, भोजपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर व दरभंगा

• 500 किसी लंबे एसएच के लिए एडीबी से लिया जाएगा लोन • 13 जिलों को सीधे लाभ होगा स्टेट हाईवे बनने से • सीतामढ़ी-पुपरी-बेनीपट्टी सड़क भी एस.एच बनेगी • 51.35 किमी होगी लम्बाई

राज्य में 10 नए स्टेट हाईवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। एशियन विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से बनने वाली इन सड़कों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी 10 एसएच के बनने पर मुहर लगा दी है। आज-कल में इसका प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जाएगा। इसके बाद एडीबी से कर्ज लेकर सड़कों का निर्माण शुरू होगा। इन सड़कों के बनने से 13 जिलों के लोगों को सीधा लाभ होगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 5.7.2022)

भारतमाला परियोजना **बिहार के तीन जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेस-वे**

वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे का निर्माण इस साल के अंत तक होगा शुरू

पूरी तरह ग्रीनफील्ड होगी यह सड़क

• 24275 करोड़ रुपये आयेगी लागत • 50% समय की बचत होगी • 686 किमी लंबी सड़क

वाराणसी से कोलकाता वाया राँची एक्सप्रेस-वे का निर्माण इस साल के अंत तक शुरू हो जायेगा। फिलहाल इसे बनाने के लिए अलाइनमेंट तय ही चुका है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करीब 686 किमी लंबाई में करीब 24 हजार 275 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेस-वे बिहार के तीन जिलों कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिलों से होकर गुजरेगा। इससे इन जिलों से कोलकाता तक आवागमन में करीब 50 फीसदी समय की बचत होगी। साथ ही बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल से नयी कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे लोगों को काफी सुविधा होगी।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 4.7.2022)

केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण
(सीजीडब्ल्यूए)
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार

सार्वजनिक सूचना सं. 3/2022

कृपया ध्यान दें : रेसिडेंसियल अपार्टमेंट्स / ग्रुप हाऊसिंग सोसायटीज के लिए पीने एवं घरेलु उपयोग वाले / शहरी क्षेत्रों में सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियां / थोक जल आपूर्तिकर्ता / औद्योगिक / अवसंरचना / खनन परियोजनाओं/स्वीमिंग पूल सहित सभी भूजल उपयोगकर्ता

उपरोक्त सभी भूजल उपयोगकर्ताओं चाहे मौजूदा हों या नया, उन्हें सीजीडब्ल्यूए से 30.06.2022 तक भूजल निकासी के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। सभी मौजूदा उपयोगकर्ताओं को एतद् द्वारा 30.09.2022 से पूर्व सम्पूरित आवेदन जमा करने के लिए रू. 10,000/- का पंजीकरण शुल्क का भुगतान के साथ 30.06.2022 तक अपने भूजल निकासी हेतु पंजीकरण कराने का एकमात्र अवसर प्रदान किया गया है। सीजीडब्ल्यूए से एनओसी प्राप्त किए बिना भूजल का निरंतर निकास करनेवाले उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी तथा ऐसे भूजल निकासी को अवैध माना जाएगा। अन्य विवरण हेतु कृपया http://cgwa-noc.gov.in लॉगऑन करें।

अध्यक्ष
10.04.2022

डीएवीपी 45103/12/0007/2223 **(साभार : हिन्दुस्तान, 29.6.2022)**

अगर कंफर्म टिकट के बावजूद फ्लाइट में यात्रा न करने दी जाए तो क्या करें?

शिकायत डीजीसीए से करें, फ्लाइट डिले का इंश्योरेंस लें, ताकि क्षतिपूर्ति मिल सके

अभी पर्यटन का मौसम है। सैलानियों की भीड़ भी है, पर ऐसा देखने में आता है कि कई विमानन कंपनियों की फ्लाइट आखिरी वक्त पर रद्द हो जाती है, या उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं मिल पाती है। इस स्थिति में यात्री क्या करे। यहाँ विमानन एक्सपर्ट वीपी अग्रवाल बता रहे हैं हवाई यात्रा से जुड़े आपके पास क्या अधिकार हैं...

ज्यादातर एयरलाइन कंपनियों को इस बात का डर रहता है कि उनकी सीटें टिकट रद्द होने से खाली रह सकतीं हैं। इसलिए वह ओवरबुकिंग करतीं हैं। इस स्थिति में एयरलाइन कंफर्म बुकिंग के बावजूद फ्लाइट पर बोर्ड करने से यात्री को रोक सकती हैं। ऐसा है तो एयरलाइंस पर वैकल्पिक फ्लाइट के लिए दबाव डालें। फिर भी विकल्प नहीं दिया जाता है, तो आप अपने खर्चे पर वैकल्पिक यात्रा करें और उसके खर्च का पूरा ब्योरा रखें। यह ब्योरा शिकायत में दावे के लिए काम आएगा।

• ऐसे मामलों की शिकायत कहाँ करें?

फ्लाइट में न चढ़ने देने की शिकायत एयरपोर्ट पर मौजूद कंपनी के प्रतिनिधियों से करें। समस्या हल न होने पर कंपनी के दफ्तर में या सीधे विमानन नियामक डीजीसीए से शिकायत ई-मेल से करें। बता दें कि दूसरी फ्लाइट छूटने का समय पहले वाली बुकिंग के समय से सिर्फ 1 घंटे के भीतर हो। यदि कंपनी वैकल्पिक एयरलाइन की व्यवस्था नहीं करती है या यात्री वैकल्पिक एयरलाइन से नहीं जाना चाहता है तो उसे, पूरा किराया वापस+बेसिक किराए का 400% +फ्यूल सरचार्ज जो कि अधिकतम 20 हजार तक हो सकता है, वापस करना होगा।

• फ्लाइट डिले या कैंसल होने पर आर्थिक क्षतिपूर्ति का कोई और विकल्प है क्या?

हाँ, जब फ्लाइट बुक करें, तो उसमें फ्लाइट डिले के इंश्योरेंस का विकल्प भी चुनें। इसकी प्रीमियम कुछ सौ रुपए होती है। उड़ान रद्द होने या देरी होने पर आपको नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इसी तरह लगेज का भी अतरिक्त इंश्योरेंस कराएँ। इसके लिए makemytrip या अन्य साइट पर लॉस ऑफ लगेज का ऑप्शन चुनें।

• कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो तो क्या करें?

अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं, तो एक ही कंपनी की फ्लाइट बुक करें। या ऐसी कंपनियों के टिकट लें, जो आपस में संबद्ध हों। एक ही कंपनी की बुकिंग होने से आपको एयरलाइन अपनी दूसरी फ्लाइट में एडजस्ट कर देती है। अलग-अलग कंपनियों की कनेक्टिंग फ्लाइट होने पर आपको परेशानी आ सकती है। कनेक्टिंग फ्लाइट में अगर चढ़ने से रोका जाए, तो शिकायत की प्रक्रिया एक ही रहेगी।

• सामान गुम हो या खराब हो जाए तो?

यात्री का सामान एयरपोर्ट पर गुम हो या उसे नुकसान होता है तो इस स्थिति में तुरंत एयरलाइंस को एक लिखित शिकायत देनी चाहिए। एयरपोर्ट छोड़ने से पहले संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट (पीआईआर) लेना भी जरूरी होता है। क्षतिग्रस्त सामान के मामले में, एयरलाइन सामान की मरम्मत के लिए भुगतान कर सकती है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 26.6.2022)**

टीटीई खुद नहीं देंगे बर्थ, यात्री नहीं पहुँचे तो कैंसिल, अगले स्टेशन से वेटिंग टिकट कन्फर्म

एक सप्ताह में राँची रेल डिवीजन की कुछ ट्रेनों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि अब टीटीई टिकट चेकिंग कागजी चार्ट से नहीं बल्कि आनॅलाइन हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन से करेंगे। दपूरे की जीएम अर्चना जोशी ने बताया कि राँची रेल डिवीजन को हैंड हेल्ड की 60 मशीन दी गई हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे हेडक्वार्टर में इसको चलाने के लिए टीटीई को मास्टर ट्रेनिंग दिया गया है। इसमें एक सिम लगा रहेगा, जिसके जरिए आनॅलाइन टिकट चेकिंग से लेकर कैंसिलेशन तक का काम होगा। फिलहाल इस मशीन के अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। उम्मीद जताई गई है कि एक सप्ताह इसको शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले राँची-दिल्ली राजधानी और राँची-हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में शुरू किया जाएगा। उसके बाद सभी ट्रेनों में टीटीई को हैंड हेल्ड मशीन दी जाएगी। ऑनलाइन सुविधा होने से रेलवे के पास एक-एक बर्थ का हिसाब रहेगा। हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन से टिकट चेकिंग के दौरान एक-एक बर्थ का कंफर्मेशन दर्ज होगा। जो बर्थ खाली रहेगी या जिस बर्थ पर यात्री टर्नअप नहीं होंगे। उसे आनॅलाइन ही टीटीई टिकट कैंसिल कर देंगे। उस स्थिति में अगले स्टेशन पर जिस यात्री का टिकट वेटिंग होगा। ऑटोमेटिक ही रेलवे सर्वर के माध्यम से आईआरसीटीसी सर्वर से वेटिंग कंफर्म होगा। यात्री को कंफर्मेशन का मैसेज चला जाएगा। हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारी टीटीई पर नगर रख सकेंगे।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 4.7.2022)

520 किमी लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए उत्तर बिहार में सर्वे का काम शुरू, उत्तरप्रदेश के दो और बिहार के आठ जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेस-वे

बिहार, यूपी व बंगाल की रफ्तार बढ़ाएगा एक्सप्रेस-वे

मोतिहारी के हरसिद्धि में सर्वे का काम शुरू

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के लिए पूर्वी चम्पारण जिलें में सर्वे शुरू ही गया है। जिले में सर्वे का जिम्मा एलएन मालवीय कंसल्टेंट को दिया गया है। हरसिद्धि प्रखंड में सर्वे हो रहा है। इसके बाद डीपीआर तैयार की जाएगी। अगले साल दिसम्बर में टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी।

पू. चंपारण के 8 प्रखंडों से होकर गुजरेगी सड़क : मोतिहारी के आठ प्रखंडों से होकर सड़क गुजरेगी। इसमें पश्चिमी चंपारण व पूर्वी चंपारण के बॉर्डर पहाड़पुर ब्लॉक के गाँधी चौक गहिरी, हरसिद्धि, तुरकौलिया, पीपरा कोठी, मोतिहारी, पकड़ीदयाल, पताही व फेनहरा ब्लॉक शामिल हैं। पताही ब्लॉक क्षेत्र से शिवहर जिले को एक्सप्रेस वे जोड़ेगा। पूर्वी चम्पारण जिले में 72.5 किलोमीटर

एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा।

• 416.2 किमी बिहार, 84.4 किमी यूपी, 18.97 किमी प. बंगाल में होगा एक्सप्रेस-वे • 507 हेक्टेयर मूमि का होगा अधिग्रहण एक्सप्रेस-वे के लिए मोतिहारी जिले में • 72.5 किलोमीटर लंबाई में 70 मीटर चौड़ी होगी पूर्वी चम्पारण जिले में सड़क • तीन राज्यों के एक दर्जन जिले आर्थिक रूप से होंगे विकसित • यह सड़क आबादी वाले क्षेत्रों से नहीं गुजरेगी

"पूर्वी चम्पारण जिले में एक्सप्रेस वे निर्माण को लेकर सर्वे शुरू किया गया है। इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना है। पूर्वी चंपारण सहित बिहार के आठ जिलों से यह एक्सप्रेस वे गुजरेगा।"

– **अमरेश कुमार शर्मा,** परियोजना निदेशक, एनएचएआई

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 25.6.2022)

गाँधी मैदान से दानापुर तक 500 कैमरे रखेंगे चप्पे-चप्पे पर नजर

स्मार्ट सिटी के ड्रीम प्रोजेक्ट के पहले चरण की शुरूआत 15 अगस्त से, शहर में बिछ रही केबल

• आनन्दपुरी और सर्पेंटाइन नाले की डीपीआर तैयार • प्रतिमाह 75 हजार लीटर ईंधन की होगी बचत • तैयार हो रहा सर्वर रूम • गाँधी मैदान समेत 50 स्थलों पर होगा इमरजेंसी कॉल बॉक्स

स्मार्ट सिटी के ड्रीम प्रोजेक्ट के पहले चरण की शुरुआत 15 अगस्त से होगी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पटना के हृदय स्थली के रूप में काम करना शुरू कर देगा। करीब 221 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से एक केन्द्र से पूरे शहर पर निगरानी की जाएगी। यह प्रोजेक्ट तीन चरणों में पूरा किया जाना है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 26.6.2022)

औद्योगिक लिहाज से मक्के की उपयोगिता बड़े स्तर पर बढ़ रही

मक्के का महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के डेढ़ करोड़ से अधिक किसान इसकी खेती में लगे हैं। मक्के की खेती करने वाले देश के शीर्ष राज्यों की सूची में बिहार शामिल है। केवल चार राज्य कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश देश में मक्के के उत्पाद का पचास फीसद उगाते हैं। जब पाँच राज्यों की बात करें तो उसमें बिहार भी शामिल है। विगत पाँच वर्षों में मक्के की खपत 11 प्रतिशत बढ़ी है। मक्के के प्रसंस्करण के बाद यह और भी महत्व का हो जाता है। औद्योगिक दृष्टि से मक्के का महत्व हाल के वर्षों में बिहार के लिए और भी बढ़ गया है। केन्द्र ने मक्के से एथेनाल तैयार करने को अपनी स्वीकृति दे दी। मक्का 3500 से अधिक उत्पादों का स्रोत है। बिहार को केन्द्र में रख मक्के के औद्योगिक उपयोग की संभावना पर एक रिपोर्ट :-

औद्योगिक लिहाज से मक्के की उपयोगिता हाल के वर्षों में बड़े स्तर पर बढ़ी है। पिछले वर्ष फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री (फिक्की) के मक्का पर हुए सम्मेलन में यह बात आई कि विगत पाँच वर्षों में मक्के के औद्योगिक उपयोग में बड़े स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में मक्के का सबसे ज्यादा औद्योगिक उपयोग पाल्ट्री फीड तैयार करने में होता है। कुल उपयोग का 47 प्रतिशत पाल्ट्री फीड सेक्टर में है। प्रसंस्करण से बने उत्पाद में मक्के का सात प्रतिशत उपयोग है। स्टार्च तैयार किए जाने मे छह प्रतिशत उपयोग है। इस इण्डस्ट्री के लिए बिहार में कच्चे माल की बड़े स्तर पर उपलब्धता है।

फिक्की व प्राइसवाटर हाउस कूपर्स के मेज विजन 2022 पर गौर कीजिए : पिक्की के मेज विजन 2022 में यह साफ-साफ आकलन है कि मक्के के उत्पाद के लिए वैल्यू चेन जरूरी है। इसके तहत बीज के मामले में हस्तक्षेप, फार्म मेकनिज्म, सिंचाई, प्रसंस्करण यूनिट आदि सभी तत्व औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से जुड़े हैं। यह किसानों की आय को भी बढ़ाएगा। भारत में मक्के का उत्पादन वर्तमान में 26 मिलियन मीट्रिक टन है। वर्ष 2022 में उत्पादन 45 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा।

इस तरह मक्का से जुड़े उत्पादों का बाजार बढ़ रहा : देश में मक्का से जुड़े उत्पादों का जो बाजार बढ़ रहा है उसमें बिहार की बड़ी सहभागिता है। इस मांग में अकेले पाल्ट्री फीड का बाजार जोरदार तरीके से बढ़ा है। इसकी मांग 13.5 मिलियन मीट्रिक टन है। वहीं 1.8 मिलियन मीट्रिक टन मक्के का स्टार्च के लिए मांग है। पिछले वर्ष तक 1.2 मिलियन मीट्रिक टन मक्के की मांग एथेनाल उत्पादन के लिए थी। एथनाल के लिए मक्के की मांग की दृष्टि से बिहार सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि यहाँ दो दर्जन से अधिक एथेनाल प्लांट लगाए जाने हैं। ये सभी एथेनाल प्लांट मक्का आधारित होंगे।

मक्का हमारा और उसके उत्पाद बाहर से आ रहे : मक्के की कहानी यह भी है कि मक्का बिहार का और उसके उत्पाद बाहर के राज्यों में तैयार होकर बिहार में आ रहे। पाल्ट्री फीड, पापकार्न, कार्न फ्लेक्स, स्वीट कार्न आदि की मांग हाल के वर्षों में बढ़ी है पर इन्हें तैयार करने वाली औद्योगिक इकाई बिहार में दिखाई नहीं देती हैं।

मक्का आधारित मशीनरी बैंक की जरूरत : विशेषज्ञों की राय में मक्के से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट सेंटर तथा मक्का आधारित मशीनरी बैंक ही जरूरत है। यह गेम चेंजर साबित होगा।

निर्यात के लिहाज से भी बिहार के मक्के का विशेष महत्व : बिहार के पूर्वी हिस्से में स्थित जिलों का मक्का गुणक्ता के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। दूसरे राज्यों के कारोबारी यहाँ से मक्का ले जाते हैं। बिहार के मक्का का निर्यात बड़े स्तर पर संभव है पर वो हो नहीं रहा। बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम में पारंपरिक रूप से मक्के का निर्यात संभव है।

मक्का आधारित उद्योग में रोजगार सृजन की बड़ी संभावना : बिहार का मक्का अभी यहाँ उद्योगों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा। छोटे स्तर पर इससे जुड़ी औद्योगिक इकाइयों की मौजूदगी जरूर है पर वह उल्लेखनीय हैं। एक आकलन के अनुसार मक्के में श्रम शक्ति की जरूरत एक दिन में 75 लोगों की है। यह आंकड़ा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। अब इसके नीचे मक्के के उत्पादों से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों में रोजगार एक दिन में 650 मिलियन तक संभव है। यह सभी तरह के कृषि उत्पादों के कुल आउटपुर का दो प्रतिशत है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 3.6.2022)

पूर्णिया बन गया मक्के का हब, लंदन आस्ट्रेलिया और जापान तक जा रहा

पूर्णिया मक्का का हब बन गया है। विदेश में भी यहाँ के मक्के की मांग है। फ्रांस, आस्ट्रेलिया, लंदन, सिंगापुर और जापान आदि देशों की कंपनियाँ यहाँ से दो तीन लाख टन मक्के की हर साल खरीदारी करती हैं। इसके अलावा लगभग 200 स्थानीय ट्रेडर मक्का का कारोबार करते हैं। हर साल लगभग 30 लाख टन मक्का यहाँ से देश के दूसरे प्रांतो और विदेश में भेजा जाता है। इससे खाद्य सामग्री के साथ ही दवा और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाए जाते हैं। पूर्णिया जिले में पूर्णिया, जलालगढ़ और रानीपतरा रेलवे स्टेशन पर स्थित रैक प्वाइंट से हर साल करीब दो लाख टन मक्का दूसरे प्रांतों में भेजा जाता है।

पूर्णिया प्रमंडल के किसानों के लिए मक्का सबसे बड़ी नकदी फसल बन गई है। प्रमंडल के पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिलों में पिछले रबी के मौसम में एक लाख 500 हजार हेक्टेयर में मक्के की खेती की गई थी। इस साल रबी सीजन में सिर्फ पूर्णिया में 80 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे में मक्के की खेती की गई थी। यहाँ हर सीजन में मक्के की खेती होती है। यहाँ मक्के का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। देश में मक्का उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पर है। इनमें भी कोसी प्रमंडल के जिलों में उत्पादन अधिक होता है। यहाँ के किसान प्रति हेक्टेयर 50 क्विंटल तक मक्के का उत्पादन करते हैं। इस इलाके में अभी तक एक भी प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाया जा सका है। इस कारण अधिकांश मक्का बाहर चला जाता है। विदेशी कंपनियाँ हर साल यहाँ से करोड़ों का मक्का खरीद कर ले जाती हैं। कई कंपनियों के तो यहाँ बड़े-बड़े वेयर हाउस भी हैं।

एथेनाल फैक्ट्री से किसानों को उम्मीद : पूर्णिया में 105 करोड़ की

लागत से एथेनाल प्लांट की स्थापना की गई है। पिछले माह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। इससे यहाँ 65 हजार लीटर एथेनाल का उत्पादन प्रतिदिन होना है। यहाँ मक्का और ब्रोकेन राइस से एथेनाल तैयार होगा, जिससे क्षेत्र के मक्का और धान उत्पादक किसानों को काफी लाभ मिलेगा। यूनिट में प्रति दिन 165 टन मक्का अथवा 135 टन ब्रोकेन राइस की खपत है। ऐसे में काफी किसानों को मक्का अथवा टूटा चावल बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यूनिट में ब्रोकेन राइस एथेनाल निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 3.6.2022)**

पर्यटन का फुल पैकेज है पाँच पहाड़ियों की गोद में बसा राजगीर

पटना से करीब सौ किमी दूरी पर प्राकृतिक सुंदरता, मगध साम्राज्य की विरासत, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, रोमांच सहित इको टूरिज्म से सज्जित स्थल

• हैंगिंग ग्लास ब्रिज का रोमांच • सिंगल सीटर रोपवे का रोमांच • राजहंसों के बीच नौका बिहार

देश में शायद ही कोई ऐसा पर्यटन स्थल हो, जहाँ धर्म, अध्यात्म, प्रकृति और इको टूरिज्म में रुचि रखने वाले हर आयु वर्ग के लोगों के लिए भ्रमण की वजहें एक साथ मौजूद हों। अगर आप किसी ऐसे स्थान की तलाश में हैं तो बिहार का राजगीर आपका पसंदीदा स्थल हो सकता है। पटना से लगभग सौ किलोमीटर की दूरी पर पाँच पहाड़ियों की गोद में बसा राजगीर पर्यटन का फुल पैकेज है। पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए भी यहाँ असीम संभावनाएं हैं। ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के अवशेष बिखेर पड़े हैं। पहाड़ियों पर नैसर्गिक सुंदरता है। एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों के लिए अनेक स्थल हैं। राजगीर की सुरक्षा को बनी साइक्लोपियन वाल चीन की दीवार से भी पुरानी है। इतिहासकारों के लिए यह गौरवशाली मगध साम्राज्य की राजधानी है।

आस्था के अनेक स्थल : राजगीर में धर्म-अध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए आस्था के केन्द्र मौजूद हैं। सनातन धर्मावलंबियों के लिए 84 लाख देवताओं की पावन भूमि है, गर्म जलस्रोत ब्रम्हकुंड है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भगवान बुद्ध का प्रिय प्रवास स्थल वेणु वन, उपदेश स्थल व प्रमुख बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अस्तित्व में आने से जुड़ी सप्तपर्णी गुफा है। जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थंकरों के चार्तुमास का पवित्र स्थल है। पाँचों पहाड़ियों के शिखर पर विद्यमान मंदिर इसका प्रमाण हैं। सिख धर्मावलंबियों के लिए गुरु नानक के आगमन व कृपा की भूमि है।

दूर से ही भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में 70 फीट ऊँची भव्य प्रतिमा बरबस ध्यान खींचती है। झील में तैरते राजहंस व बत्तखों के झुंड के बीच नौका विहार का अलग ही आनंद है। प्राचीन नालंदा महाविहार की पुनर्स्थापना के विचार से बना अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय शोध व स्नातकोत्तर अध्ययन का बड़ा केन्द्र है। अभी यहाँ 31 देशों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब यह बिम्सटेक देशों की छात्रवृत्ति के दायरे में आ चुका है। समुद्री विज्ञान में अनुसंधान के क्षेत्र में भी विश्व के अन्य विश्वविद्यालय का सहयोग कर रहा है। ब्रह्मकुंड के गंधक युक्त गर्म पानी से स्नान कर लोग स्वास्थ्य लाभ करते हैं। पेड़-पौधों की हरियाली देखते बनती है। **(साभार : दैनिक जागरण, 4.6.2022)**

कूड़ा उठाव वाली गाड़ी नहीं आए तो 155304 पर कीजिए शिकायत

शहर के सभी वार्डों में रोजाना कचरे का उठाव सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की उपलब्धता रहेगी। इंदौर से अधिक वाहन अब पटना नगर निगम के पास है। नए सिरे से कचरा उठाव का सिस्टम तैयार हुआ है। कचरा कलेक्शन नहीं होने पर नागरिक सीधे हेल्पलाइन नंबर 155304 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। **– अनिमेष पराशर**, नगर आयुक्त

(साभार : दैनिक भास्कर, 11.7.2022)

जलजमाव होने पर नियंत्रण कक्ष में करें फोन, 15 मिनट में पहुँचेगी टीम

• शिकायतों को दूर करने के लिए निगम ने कुल 19 जोनल क्विक रिस्पॉन्य टीम गठित की • टीम को विशेष वाहन भी उपलब्ध है, जिसमें जलनिकासी से संबंधित सभी उपकरण मौजूद

बुडको का नियंत्रण कक्ष

• **नियंत्रण कक्ष का नंबर :** 1800-3456130, 0612-2557984, 0612-2557989, 0612-2557987

निगम का नियंत्रण कक्ष

नियंत्रण कक्ष का टॉल फ्री नंबर : 155304, 0612-2200634, मोबाइल- 9264447449 **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 4.7.2022)**

होटल एवं रेस्टोरेंट द्वारा सेवा शुल्क वसूलने के संबंध में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 4 जुलाई 2022 की प्रति माननीय सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है :-

F.No. J-25/57/2022-CCPA
Central Consumer Protection Authority

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated : 4th July, 2022

Subject: Guidelines to prevent unfair trade practices and protection of consumer interest with regard to levy of service charge in hotels and restaurants.

The Central Consumer Protection Authority (CCP A), has been established under the Consumer Protection Act, 2019 (hereinafter called 'the Act') to regulate matters relating to violation of rights of consumers, unfair trade practices and false or misleading advertisements which are prejudicial to the interest of public and consumers and to promote and enforce the rights of consumers as a class.

2. Under **Section 18(2)(1)** of the Act, the CCPA is empowered to issue necessary guidelines to prevent unfair trade practices and protect consumers' interest.

3. It has come to the notice of the CCPA through many grievances registered on the National Consumer Helpline that restaurants and hotels are levying service charge in the bill by de.fault, without informing consumers that paying such charge is voluntary and optional. Further, service charge is being levied in addition to the total price of the food items mentioned in the menu and applicable taxes, often in the guise of some other fee or charge.

4. It may be mentioned that a component of service is inherent in price of food and beverages offered by the restaurant or hotel. Pricing of the product thus covers both the goods and services component. There is no restriction on hotels or restaurants to set the prices at which they want to offer food or beverages to consumers. Thus, placing an order involves consent to pay the prices of food items displayed in the menu along with applicable taxes. Charging anything other than the said amount would amount to unfair trade practice under the Act.

5. It is understood that a tip or gratuity is towards hospitality received beyond basic minimum service con-tracted between the consumer and the hotel management, and constitutes a separate transaction between the consumer and staff of the hotel or restaurant, at the consumer's discretion. Only after completing the meal, a consumer is in a position to assess the quality and service and decide whether or not to pay tip or gratuity and if so, how much. The decision to pay tip or gratuity by a consumer does not arise merely by entering the restaurant or placing an order. Therefore, service charge cannot be added in the bill involuntarily, without allowing consumers

the choice or discretion to decide whether they want to pay such charge or not.

6. Further, any restriction of entry based on collection of service charge amounts to a trade practice which imposes an unjustified cost on the customer by way of forcing him/her to pay service charge as a condition precedent to placing order of food and beverages, and falls under restrictive trade practice as defined under Section 2 (41) of the Act.

7. Therefore, to prevent unfair trade practices and protect consumer interest with regard to levying of service charge, the CCP A issues the following guidelines -

(i) No hotel or restaurant shall add service charge automatically or by default in the bill.

(ii) Service charge shall not be collected from consumers by any other name.

(iii) No hotel or restaurant shall force a consumer to pay service charge and shall clearly inform the consumer that service charge is voluntary, optional and at consumer's discretion.

(iv) No restriction on entry or provision of services based on collection of service charge shall be imposed on consumers.

(v) Service charge shall not be collected by adding it along with the food bill and levying GST on the total amount.

8. The aforementioned guidelines shall be in addition to and not in derogation of the guidelines dated 21.04.2017 published by the Department of Consumer Affairs.

9. If any consumer finds that a hotel or restaurant is levying service charge in violation to the above-mentioned guidelines, a consumer may:-

(i) Make a request to the concerned hotel or restaurant to remove service charge from the bill amount.

(ii) Lodge a complaint on the National Consumer Helpline (NCH), which works as an alternate dispute redressal mechanism at the pre-litigation level by calling 1915 or through the NCH mobile app.

(iii) File a complaint against unfair trade practice with the Consumer Commission. The Complaint can also be filed electronically through edaakhil portal www.edaakhil.nic.in for its speedy and effective redressal.

(iv) Submit a complaint to the District Collector of the concerned district for investigation and subsequent proceeding by the CCP A. The complaint may also be sent to the CCPA by e-mail at com-ccpa@nic.in.

(Nidhi Khare)
Chief Commissioner, CCP A

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (विदेश व्यापार महानिदेशालय), भारत सरकार ने गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद अब आटा सहित गेहूँ के उत्पादों के निर्यात पर अंतर मंत्रालय समिति (Inter Ministerial Committee) की मंजूरी लेने को अनिवार्य बना दिया गया है। यह 12 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा।

इस संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई, 2022 की प्रति माननीय सदस्यों के सूचनार्थ उद्धृत है :-

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी. जी.-डी. एल.- अ-07072022-237169
CG-DL-E-07072022-237169
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 11-खण्ड 3- उप-खण्ड (ii)
PART II - Section 3 - Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2961) नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944
No. 2961) NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

सं. 18/2015-2020

विषय :- गेहूँ के आटे की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3111 (अ) - जबकि गेहूँ और गेहूँ के आटे की वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान के कारण कई नए प्रतिस्पर्द्धी पैदा हो गए हैं और इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव एवं गुणवत्ता संबंधी संभावित मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। इसलिए, भारत से गेहूँ के आटे के निर्यात की गुणवत्ता को बनाए रखना अनिवार्य है।

इसलिए केन्द्र सरकार विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), निर्यात नीति की अनुसूची - 2 के अध्याय 11 के आईटीसी (एचएस) कोड 1101 के स्थान पर क्रम संख्या 64 के तहत गेहूँ के आटे की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है :

क्र. सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति
64	1101	गेहूँ का आटा, मैदा, समोलिना (रवा / सिरगी), होलमील आटा और रिसलटैंट आटा	मुक्त	मुक्त। तथापि, गेहूँ के आटे का निर्यात, गेहूँ के निर्यात पर अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सिफारिश के अधीन है।

2. अधिसूचना 12 जुलाई 2022 से लागू होगी। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान इस अधिसूचना के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। 06 जुलाई 2022 से 12 जुलाई 2022 तक की अवधि के दौरान गेहूँ के आटे की निम्नलिखित प्रकार की खेपों को निर्यात करने हेतु अनुमत किया जाएगा-

(i) जहाँ गेहूँ के आटे का शिप पर लदान इस अधिसूचना से पूर्व शुरू हुआ है; और

(ii) जहाँ गेहूँ के आटे की खेप को इस अधिसूचना से पूर्व सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है और उनकी प्रणाली में पजीकृत किया गया है।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

गेहूँ के आटे की निर्यात नीति 'मुक्त' बनी रहेगी, लेकिन निर्यात गेहूँ के निर्यात पर अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सिफारिश के अधीन होगा। अधिसूचना 12 जुलाई 2022 से लागू होगी। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान इस अधिसूचना के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। गेहूँ के आटे की गुणवत्ता के संबंध में तौर-तरीके अलग से अधिसूचित किए जाएँगे।

(फा. सं. 01/91/180/ 032/एएम-22/ ईसी/ पार्ट/ई- 31336)
संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

बिना लाइसेंस चाट, गोलगप्पे बेचे तो तीन माह की जेल

पाँच सितारा होटल हो या रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान हो या फिर सड़क किनारे फुटपाथ पर ठेला और रेहड़ी लगाकर लोगों को चाट और गोलगप्पे खिलाने वाले छोटे खाद्य व्यवसायी।

भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानव प्राधिकार के नए निर्देशों के अनुसार इन खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले सभी व्यवसायियों को फास्टैग का प्रशिक्षण और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्राधिकार ने बिहार के सभी 38 जिलों में खाद्य व्यवसायियों को प्रशिक्षण देने और प्रशिक्षण के बाद लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए जनमानस आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। इस नोडल एजेंसी में सभी खाद्य व्यवसायियों को प्रशिक्षण एवं लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए भागलपुर, कटिहार, बांका, पूर्णिया व मुंगेर के लिए राशि पे इंटरप्राइजेज को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा गया, बक्सर, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी जिलों के लिए इन स्काई मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है।

जनमानस आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विपिन कुमार सिन्हा ने बताया कि आगामी 10 जुलाई से बिहार के विभिन्न जिलों में सभी छोटे-बड़े खाद्य व्यवसायियों के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हमारी नोडल एजेंसी जनमानस आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड सभी जिलों के लिए सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करेगी। बता दें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार के नए निदेशक के अनुसार यदि कोई खाद्य व्यवसायी बिना प्रशिक्षण और बिना लाइसेंस लिए खाद्य पदार्थों की बिक्री करता है तो उसे 10, 000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है और 3 महीने की कैद की सजा हो सकती है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 6.7.2022)

तोहफे में दी गई अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं बुजुर्ग

कहा जाता है कि एक बार आपने अपनी संपत्ति किसी को तोहफे में दे दी तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। कानूनन ऐसे मामले काफी पेचीदा होते हैं और संपत्ति वापस लेना आसान नहीं होता। खासतौर पर तब जब आपने तोहफे में संपत्ति देते वक्त कोई शर्त नहीं रखी हो, मगर बुजुर्गों के पास कुछ खास अधिकार हैं। आइए जानते हैं...

क्या है कानून : सपत्ति लेकर बुजुर्गो को दरकिनार करने के मामले सामने आने लगे तो यह कानून लाया गया। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 का सेक्शन 23 इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताता है। यह कहता है कि अगर तोहफे के रूप में अथवा किसी भी अन्य माध्यम से संपत्ति पाने वाला शख्स बुजुर्ग की देखभाल नहीं करता है, उसकी जरूरते पूरी नहीं करता है तो संपति के इस हस्तांतरण को पूरी तरह से शून्य माना जाएगा।

केरल हाईकोर्ट ने 2016 में दिया था अहम फैसला : बुजुर्गों की संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट का एक फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट की पीठ ने वर्ष 2016 में फैसला सुनाया कि कागज पर देखभाल करने की शर्त नहीं लिखी है, तब भी यह नियम लागू होगा। बुजुर्ग अपनी संपत्ति वापस लेने का पूरा हकदार है। इस मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बुजुर्ग के हक में फैसला सुनाया था।

प्रावधान का पालन न होने पर हस्तांतरण खत्म : दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता बताते हैं कि केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि बुजुर्ग कागजों में यह बात अलग से लिखें कि उनकी देखभाल की जानी चाहिए। यह बात पहले से निहित मानी जानी चाहिए। अगर अदालत को ऐसा लगता है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के इस प्रावधान का पालन नहीं हो रहा है तो वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और संपत्ति के इस हस्तांतरण को खत्म करें।

किस पर होगा लागू : वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 का सेक्शन 23 संपत्ति के केवल उन हस्तांतरण पर लागू होता है, जो इस अधिनियम के आने के बाद हस्तांतरित हुए हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.7.2022)

विभिन्न जिलों में पदस्थापित वन प्रमंडल पदाधिकारियों के मोबाईल नम्बर

RCF	CF	Designation	Name of Officers	Mobile
Director, Eco & Env	CF VTR, Bettiah	DFO Division- 1, Bettiah DFO DIvision- 2, Bettiah DFO Bettiah	Sri Praduman Gaurav Sri Neeraj Narayan Sri Praduman Gaurav	8285799758 8986153405 8285799758
	CF Wildlife	DFO Rohtas, Sasaram DFO Kaimur, Bhabhua DFO Munger	Sri Manish Verma Sri Chanchal Prakasham Sri Gaurav Ojha	8787087875 9832762749 8986153302
RCCF Patna	CF Patna	DFO Patna DFO Nalanda, Biharsharif DFO Bhojpur, Ara DFO Patna Park Dirctor, RZS, Nalanda	Sri Ambrish Kr. Mall Sri Vikash Ahlawat Sri Raj Kumar M Sri Shashikant Kumar Sri Hemant Patil	8802321980 7015396414 9608368412 9006208080 9456102735 8087211645
	CF Gaya	DFO Gaya DFO Aurangabad DFO Nawada Director cum DFO SFTI, Gaya	Sri Rajiv Ranjan Sri Tejas Jaiswal Sri Sanjeev Ranjan Sri D. K. Das	9412996857 9968911998 8800252484 9304392791
RCCF Bhagalpur	CF Purnea	DFO Saharasa DFO Purnia DFO Araria DFO Supaul	Sri R. K. Sinha Sri Bhaskar Chandra Bharti Sri Naresh Prasad Sri Sunil Kumar Sharan	9113759177 9540824675 8986153199 8986153160
	CF Bhagalpur	DFO Banka DFO Jamui DFO Bhagalpur	Sri Abhishek Singh Sri Piyush Barnwal Sri Bharat Chit Palli	9650389387 9905335726 6232770035
RCCF Muzaffarpur	CF Muzaffapur	DFO Tirhut, Muzaffarpur DFO Mithila, Darbhanga DFO Begusarai DFO Sitamarhi DFO Samastipur	Sri Abhishek Kumar Sri Subodh Kumar Gupta Sri Rabindra Kumar Ravi Sri Naresh Kumar Sri S. K. Gupta	9716973633 9431048042 9525283110 6200075154 9431048042
	CF Siwan	DFO Saran, Chapra DFO Gopalganj DFO Motihari DFO Vaishali, Hajipur	Sri Ram Sunder M Sri Ram Sunder M Sri Abhishek Kumar Sri Abhishek Kumar	9445146757 9445146757 9716973633 9716973633

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296